Hindi) explaining the circumstances which had necessitated immediate legislation by the National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Ordinance, 2020.

GOVERNMENT BILLS AND STATUTORY RESOLUTION

The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Bill, 2021

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS; THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI HARDEEP SINGH PURI): Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second Act, 2011.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, I introduce the Bill.

*Disapproval of the Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Ordinance, 2021
and
*The Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2021

MR. CHAIRMAN: Now, the Statutory Resolution. ...*(Interruptions)*... Please, this is not the way. You know the practice also. ...*(Interruptions)*... Nothing else will go on record except what the Chairman has permitted. Now, Statutory Resolution and the Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2021, to be discussed together. The time allotted is two hours. Now, Shri Elamaram Kareem to move the Resolution.

SHRI ELAMARAM KAREEM (KERALA): Mr. Chairman, Sir, I move:-

"That this House disapproves the Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Ordinance, 2021 (No.1 of 2021) promulgated by the President of India on 7th January, 2021."

---

* Discussed together

MR. CHAIRMAN: The Resolution is moved. ...*(Interruptions)*... You have got every right. It is over now. You should have done it in the beginning itself. You have wasted time. ...*(Interruptions)*...

(At this stage, some hon. Members left the Chamber)

MR. CHAIRMAN: Now, Shri G. Kishan Reddy to move the motion for consideration of the Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2021. ...*(Interruptions)*...

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI G. KISHAN REDDY): Mr. Chairman, Sir, I move:-

That the Bill to amend the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019, be taken into consideration.

The questions were proposed.

MR. CHAIRMAN: We have moved to the Kashmir issue and the Resolution has been moved. Please bear with me. Members will speak now and, after the discussion is over, the Minister will respond. ...*(Interruptions)*... Please, we have now taken up the Bill on Jammu and Kashmir ...*(Interruptions)*... Now, the Bill has been moved by the Home Minister and it is open for discussion. Shri Ghulam Nabi Azad to initiate the discussion.

विपक्ष के नेता (श्री गुलाम नबी आज़ाद): माननीय चेयरमैन सर, आज जो बिल यहां सदन के सामने रखा गया है, वह जम्मू-कश्मीर का आईएएस, आईपीएस, आईएफएस का जो कैडर है, उसको UT गोवा, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश के कैडर के साथ merge करने के लिए, जो कानून बनाया जा रहा है, उस कानून के बारे में है।

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair*)

अगर यह नॉर्मल Union Territory होता, तो शायद मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन जैसा कि इस सदन में माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने भी बताया है कि जम्मू-कश्मीर के स्टेट को Union Territory का दर्जा कुछ समय के लिए दिया गया था और उसके बाद जम्मू-कश्मीर को दुबारा से स्टेटहुड दिया जाएगा तो मैं माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अगर स्टेट बनाना है, जो कि बहुत अनिवार्य है और क्यों अनिवार्य है, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। जब पिछले तीन साल से, पहले गवर्नर रूल और जब से यूटी बना अब लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल...

12.00 **Noon**

अगर तब से इसी cadre से काम चल रहा था और अगर आपने कुछ महीनों में स्टेटहुड देना है, तो जब इतने साल से उसी cadre से काम चल रहा था, तो इसको अब merge करने की क्या जरूरत है? इससे एक बड़ी शंका पैदा होती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जम्मू-कश्मीर में permanently Union Territory तो नहीं रखना चाहती है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको permanently Union Territory नहीं रखना चाहती है, तो फिर दो-चार महीनों के लिए cadre को merge करना और फिर स्टेट बनेगा और फिर उससे बाहर निकालना - तब तक के लिए ट्रांसफर्स इधर की होंगी, उधर की इधर होंगी, कोई अरुणाचल प्रदेश से जम्मू-कश्मीर आएगा, कोई जम्मू-कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश जाएगा, कोई गोवा, मिज़ोरम से जम्मू-कश्मीर आएगा, जम्मू-कश्मीर से गोवा, मिज़ोरम जाएगा, तो फिर कुछ महीनों के लिए इतना परिवर्तन करने की क्या जरूरत थी?

मुझे खुशी है कि माननीय गृह मंत्री जी यहां पर बैठे हैं। बहुत सारी चीज़ों पर जब आर्टिकल 370 खत्म हुआ था - Union Territory बना, उस पर चर्चा हुई थी। मैं आज उस पर दोबारा चर्चा नहीं करना चाहता हूं। मैं कठोर शब्दों का भी इस्तेमाल आज नहीं करना चाहता हूं क्योंकि शायद यह इस सदन में मेरी किसी भी बिल पर या question पर आखिरी स्पीच हो। उस वक्त कुछ तर्क दिए गए थे कि यू.टी. क्यों बनाया जा रहा है। उस समय यह तर्क दिया गया था कि वहां पर विकास नहीं हो रहा है, development नहीं हो रहा है, वहां पर बाहर से industries जा नहीं पा रही हैं , वहां पर उनको ज़मीन नहीं मिल रही है, इसलिए उद्योग बाहर से नहीं जा पा रहे हैं, जिसके कारण वहां पर लोगों को employment नहीं मिल रहा है, वहां पर बहुत ज्यादा unemployment है। इसको यू.टी. बनाएंगे, तो बहुत सारे लोग आएंगे, development करेंगे, उद्योग लगाएंगे, विकास करेंगे। वहां की जो गवर्नमेंट है, वह रुचि नहीं ले रही है, जो वहां पर unemployment है, हम उसका समाधान निकालेंगे।

माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, जब से लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल हुआ, विशेष रूप से जब से यूनियन टेरिटरी बना है और स्टेटहुड खत्म हो गयी है - एक स्टेट हिन्दुस्तान के नक्शे से खत्म हो गया और यूनियन टेरेटरी बन गया, यह तो अलग बात है, लेकिन मैं उन मुद्दों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं जिनके आधार पर एक बेस बनाया गया था कि ये-ये कारण यू.टी. बनाने के लिए हैं।

मैं इंडस्ट्रीज़ की बात करता हूं। कश्मीर में बहुत कम इंडस्ट्रीज़ जाती हैं। वहां पर बाहर का तो कोई जाता ही नहीं है। उसका कारण है कि वहां पर इंडस्ट्रीज़ सफल नहीं रहती हैं, क्योंकि छह महीने तो वहां पर विंटर होती है, वह दूर भी है। हमारे जम्मू province में 10 डिस्ट्रिक्ट्स थे और उन 10 डिस्ट्रिक्ट्स में से तीन डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं, जो पंजाब के साथ लगे हैं, जिनका नाम कठुआ, सांबा और जम्मू है। अधिकतर तो कठुआ में हैं, फिर थोड़े सांबा में हैं और थोड़े जम्मू में हैं। जो बाकी के सात डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें कोई उद्योग लगाता नहीं है, क्योंकि वे जम्मू से बहुत दूर हैं और वहां रेल की सुविधा नहीं है। लोग normally rail head पर ही उद्योग लगाने की कोशिश करते हैं। मैं आज के आंकड़े बताता हूं। माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, वहां पर नया उद्योग कोई नहीं आया है, लेकिन इन दो सालों में जम्मू province में उद्योगों की 12,997 थी, 13,000 उद्योगों में तकरीबन तीन कम हैं। इनमें से आज कितने चल रहे हैं- 5,890 उद्योग चल रहे हैं और 7,107 उद्योग बंद हुए हैं। माननीय गृह मंत्री जी, 60 परसेंट उद्योग बंद हो गए और कोई नया आया नहीं। यह तर्क कहाँ है? इसका मतलब है कि वह जो तर्क दिया गया था कि हम यू.टी. बनाएंगे, तो बाहर से Industrialist आएंगे, मैं उस पर यह कहता हूं कि वे सब बाहर के थे। कोई पंजाब का था, कोई हरियाणा का था, कोई दिल्ली का था, कोई

मुंबई का था। यू.टी. बनाने के बाद कोई नया आया नहीं, बल्कि यू.टी. बनाने के बाद जो पुराने थे, वे भी चले गए क्योंकि uncertainty है, incentives खत्म किए गए। फिर एक-डेढ़ साल से, 5 अगस्त 2019 से जो गतिरोध बनता रहा, उससे लोग भाग ही गए एक रोज। इसलिए मैं यह बताना चाहता हूं कि यह फॉर्मूला ठीक नहीं है।

माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, डेवलपमेंट ठप हो गया। कोई डेवलपमेंट नहीं है, टेलीविज़न में हो सकता है, लेकिन रोड पर कोई डेवलपमेंट नहीं है। सड़कों की condition बहुत खराब है। यहाँ तक खराब है कि मैं कल या परसों किसी विषय पर चर्चा करते हुए नेशनल हाईवे का जिक्र कर रहा था कि 30 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है बटौत से बनिहाल तक, वह सात साल से नहीं बन रहा है। साल में कई बार हमारा नेशनल हाईवे ही बंद रहता है। नेशनल हाईवे बरसात में दो-तीन महीने और विंटर में चार महीने बंद रहता है। हमारे बॉर्डर एरियाज़ में - मैं उसका ज्यादा उल्लेख नहीं कर रहा, मैं आज ही बता चुका हूं कि कितने ceasefire violations बढ़ गए हैं। ये पिछले साल 5 हज़ार से ज्यादा, उससे पिछले साल 3 हज़ार से ज्यादा, उससे पिछले साल तकरीबन 3 हज़ार हैं, जिसकी वजह से हमारे जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी, पुंछ में बहुत नुकसान होता है। इससे किसानों का भी और लोगों का भी नुकसान होता है। लोगों की जान-माल का नुकसान होता है। जहाँ बॉर्डर की लाइन है, वहाँ 5 मरले जमीन बॉर्डर से दूर देनी थी, ताकि जब भी फायरिंग होती तो वे बच सकते, लेकिन वह काम अभी तक नहीं हुआ है।

वॉटर सप्लाई की बड़ी प्रॉब्लम है। आप कभी भी यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जम्मू-कश्मीर में वॉटर सप्लाई की प्रॉब्लम है। उसका कारण है कि जम्मू-कश्मीर में कोई न कोई नये तज़ुर्बे होते रहते हैं। पहले जब इरिगेशन के या वॉटर सप्लाई के टेंडर्स निकलते थे, तो उनमें प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट 70 परसेंट करता था और 30 परसेंट वेजेज़ contractor लगाता था। मैं पाइप्स का उदाहरण देता हूं। वॉटर सप्लाई वाले 70 परसेंट पाइप्स खरीदते थे। वे एक तो सस्ता खरीदते थे, सरकार का खरीदते थे और एक जगह से खरीदते थे, लेकिन अब यह आदेश निकला है कि नहीं, contractor 70 परसेंट नहीं, बल्कि 100 परसेंट खुद खरीदेगा। उससे क्या होता है? उससे यह होता है कि contractor ढूंढ़ता रहता है कि यह मुझे कहाँ मिलेगा? सरकार एक ही वक्त में खरीदती थी और एक ही वक्त पर बाँट देती थी कि कहाँ contract है। उसमें दूसरी यह गलती की है कि अगर कहीं पाइप टूट गया, फट गया, तो रिपेयरिंग का जो काम डिपार्टमेंटल होता था, अब वह डिपार्टमेंटल रिपेयरिंग नहीं होगी, उसके लिए भी टेंडर निकलेगा। उसको तब तक वॉटर सप्लाई के लिए प्यासा रहना है। अगर इसमें डिपार्टमेंट होता तो रातों-रात दूसरा पाइप लगाता, उसको जोड़ देता, लेकिन नहीं, अब उसके लिए भी टेंडर निकलेंगे।

महोदय, पावर के लिए कहूं तो जब तक वहाँ सरकार थी, तब उस वक्त 90 रुपये पर यूनिट टैरिफ था, लेकिन आज 375 पर यूनिट टैरिफ है।

Unemployment के लिए कहूं तो unemployment भयंकर रूप से बढ़ गया है। जैसा कि मैंने बताया है कि unemployment बढ़ने के क्या रीज़न्स हैं। उसके तीन-चार रीज़न्स हैं। कश्मीर का अलग रीज़न है, जम्मू का अलग रीज़न है। कश्मीर का अलग रीज़न है कि 5 अगस्त, 2019 को जब स्टेट को Union Territory बनाया गया, उसके बाद कई महीनों तक जम्मू-कश्मीर का पूरा स्टेट बंद रहा। वहाँ पर एक तरीके से कर्फ्यू की स्थिति रही। उसके बाद कोविड आया और नतीजा यह रहा कि टूरिज्म शून्य के बराबर हुआ, हैंडिक्राफ्ट शून्य के बराबर हुआ और दूसरे डेवलपमेंटल वर्क्स जम्मू में

भी बंद हो गए, कश्मीर में भी बंद हो गए। Schools, colleges, universities, educational institutes बंद रहे। जो private schools थे, उनमें भी जिन टीचर्स को तन्ख्वाह मिलती थी, वह भी बंद हो गई। इससे जो employed थे, वे भी unemployed हो गए। इसलिए जो unemployment होता है, सरकारी employment तो बंद हो ही गया, लेकिन जो दूसरे तिजारत के जरिए लोगों को तिजारत करने से पैसा मिलता था, वह भी नहीं मिल रहा है। अभी इस वक्त unemployment हर लेवल पर कई गुना बढ़ गया है। अगर वहाँ सरकार होती, तो इसका समाधान होता, क्योंकि elected government होती है, तो कुछ हद तक समाधान होता है। मंत्री कम होते, लेकिन MLAs होते। क्यों हम पूरे देश में Union Territories नहीं बनाते हैं, क्यों elected Government रखते हैं? सर, मैं किसी ऑफिसर के खिलाफ, किसी लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन माननीय गृह मंत्री जी यह मानेंगे कि जो responsibility एक elected representative की होती है, वह एक मुलाज़िम की नहीं होती है। आपने अभी जम्मू-कश्मीर में BDC और DDC के elections कराए, जिसकी हमने सराहना की, जिसको हमने support किया। क्यों किया? आपने ये elections क्यों कराए? ऐसा इसलिए, ताकि elected representatives उस लेवल पर भी हों, ब्लॉक लेवल पर भी हों, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हों, छोटी-छोटी constituencies में भी हों और वे development करें। लेकिन MLA तो कानून भी बनाता है, अब हमारा ऑफिसर तो कानून नहीं बना सकता। वह कानून बनाएगा, तो वह एक जगह एक आदमी बनाएगा। अभी हम यहाँ discuss करते हैं। जब आप यहाँ बिल लाते हैं, तो उसमें कितने amendments आते हैं, उसमें कितने suggestions आते हैं। आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कानून बनाएँगे, ऑर्डर करेंगे, लेकिन उसमें कोई suggestion नहीं आएगा। वह एक आदमी का, चीफ सेक्रेटरी का दिमाग होगा या किसी ऑफिसर का दिमाग होगा, वह एक आदमी का suggestion होगा। उसका impact देहात में क्या होगा, उसका impact जम्मू में क्या होगा, उसका impact लद्दाख में क्या होगा, उसका impact किसानों पर क्या होगा, मजदूरों पर क्या होगा, वह नहीं सोचेगा, वह तो दफ्तर में बैठ कर कानून बनाएगा। उस impact को देखने के लिए हम पार्लियामेंट या विधान सभाओं में जो कानून बनाते हैं, उस पर चर्चा होती है और एक collective wisdom होती है, उस collective wisdom से उसका नक्शा ही बदल जाता है।

सर, इस सरकार ने Union Territory के दौरान employment के लिए कुछ रास्ते दिए। रहबर-ए-खेल टीचर्स, जो स्कूलों में बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, विशेष रूप से Physical Training Teachers. 3,000 Physical Training Teachers इसी सरकार में दो साल पहले लगे, लेकिन 7 साल तक उनका probation period है। माननीय गृह मंत्री जी, आप हैरान होंगे, जो Physical Training Teachers by selection लगाए गए हैं, जो B.A., LLB हैं, M.A. हैं, M.Phil. हैं, Ph.D. हैं, 7 साल तक उनको per month सिर्फ 3,000 रुपए मिलेंगे! आप किसी Physical Training Teacher को 3,000 रुपए 7 साल तक दे सकते हैं? माननीय गृह मंत्री जी, वहाँ यह कौन सा तज़ुर्बा हो रहा है? मुझसे एक delegation मिला, जम्मू का भी और श्रीनगर का भी। एक की दो लड़कियाँ थीं, दूसरे को एक लड़का और लड़की थी, तीसरे की एक लड़की थी। वे कहते हैं कि सर, मैं हर महीने अपने दोस्तों से 100-100, 200-200 रुपए लेता हूँ, क्योंकि बच्ची छोटी है और उसका दूध पूरा नहीं होता है। माननीय गृह मंत्री जी, आप इसकी तरफ ध्यान दीजिए कि probation तो होता है, 6 महीने का होता है, एक साल का होता है, लेकिन अगर 7 साल का Physical Training Teacher का probation होगा, तो उसकी आधी नौकरी इसी तरह निकल जाएगी। पहले आजकल नौकरी कोई 25-30 साल

वाले की तो लगती नहीं है, नौकरी 40 साल वाले की लगती है, उसके बाद ये 7 साल गए, तब तक उसके 50 साल हो जाएँगे, उसके 10 साल बाद वह retire होगा और उसके बाद उसको पेंशन भी नहीं है। वहां पर ये चीज़ें हो रही हैं। अगर वहां विधान सभा होती, तो इन लड़कों को जम्मू और कश्मीर से चलकर मुझसे मिलने के लिए आने की जरूरत न पड़ती। वहां अपना MLA होता, मिनिस्टर होता, चीफ मिनिस्टर होता, तो वे उनसे मिल सकते थे। वे कहते हैं कि हमारी बात सुनने के लिए ऑफिसर्स से हमें टाइम ही नहीं मिलता है। सर, स्टेटहुड वहां इसीलिए जरूरी है। किसी आदमी को चीफ मिनिस्टर बनने का शौक होगा, इसके लिए स्टेटहुड जरूरी नहीं है, लेकिन लोगों की समस्याओं के समाधान निकल सकें, इसके लिए स्टेटहुड जरूरी है।

माननीय गृह मंत्री जी, वहां के लोगों को पानी मिले, बिजली मिले, नौकरी मिले, रोज़गार मिले, इसके लिए स्टेटहुड जरूरी है। आज हमारा देश कोरोना से लड़ रहा है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने अभी अपने भाषण में बहुत सारा समय कोरोना को दिया। देश को बहुत गौरव है कि हमारे साइंटिस्ट्स ने इसकी वैक्सीन बनाई और आज हमारा पूरा देश और दुनिया उसका लाभ उठा रही है। लेकिन एक तरफ जब हम कोरोना जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं, ऐसे वक्त में हमारे हॉस्पिटल्स में स्टाफ नहीं है। अगर वहां एमएलए या मंत्री होते, तो अब तक कई मीटिंग्स हो गई होतीं और तुरन्त एक्स्ट्रा स्टाफ लगा दिया गया होता। वहां ट्रेंड लोगों की कमी नहीं है। Specialists, MBBS लड़के और लड़कियां unemployed बैठे हुए हैं, Medical Assistants unemployed बैठे हुए हैं।

माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, हमारे यहां सरकारी नौकरी में 2,500 के करीब Medical Assistants और Pharmacists हैं। दूसरी तरफ 15,000 लड़के और लड़कियां ऐसे भी हैं, जो Medical Assistant और Pharmacist की ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं, लेकिन State Pharmacy Act उनको रजिस्टर ही नहीं करता है। हम सब जानते हैं कि आज हॉस्पिटल्स में इनकी कितनी जरूरत है। एक तरफ हम नये इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को MBBS, MD, Medical Assistant और Pharmacists की ट्रेनिंग दी जा सके और भारत के गाँव-गाँव तक ये पहुंच सकें, लेकिन दूसरी तरफ हमारे जम्मू-कश्मीर में 15,000 बच्चे ट्रेनिंग करके खाली बैठे हुए हैं। किसी ऑफिसर को इतनी फुरसत नहीं है कि इन बच्चों को State Pharmacy Act के तहत परमिशन दे दे। इन सब लोगों तक यह सुविधा पहुंच सके, इसीलिए स्टेटहुड जरूरी है। वहां unemployment पहले से ही है।

सर, आर्टिकल 370 में ज्यादा कुछ नहीं बचा था। आर्टिकल 370 में मुख्य रूप से दो चीज़ें बची थीं, एक तो बाहर वाला कोई भी व्यक्ति वहां नौकरी नहीं कर सकता था, IAS, IPS तो कर सकते थे, लेकिन बाकी मुलाज़िम नहीं कर सकते थे। दूसरा, किसी और स्टेट का कोई भी व्यक्ति वहां ज़मीन नहीं खरीद सकता था। कई ग्रामीण इलाकों में आज बाहर के लोग आकर बस गए हैं और नौकरी कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्यों वहां पर बाहर का आदमी नौकरी नहीं कर सकता था? ऐसा नहीं है कि जम्मू-कश्मीर कोई आसमान से उतरा था, जिसके कारण कोई दूसरा वहां नौकरी के लिए नहीं जा सकता था और जम्मू-कश्मीर वाले पूरे हिन्दुस्तान में जा सकते थे। यह आज के ज़माने से नहीं, महाराजा हरि सिंह जी के ज़माने से चला आ रहा था। आज़ादी से कई साल पहले, 1925 में यह कानून बना दिया गया था। इसका कारण मैं इस सदन में पहले भी बता चुका हूं कि जम्मू-कश्मीर में या तो पहाड़ हैं या जंगल हैं। वहां ज़मीन न के बराबर है। जब जम्मू-कश्मीर Union Territory बना, तो पार्लियामेंट के मेरे बहुत सारे साथी कहने लगे कि हम भी वहां पर ज़मीन खरीदेंगे, वहां तो ज़मीन

बहुत सस्ती होगी। मैंने उनसे कहा कि आज तक मैं तो वहां ज़मीन नहीं खरीद पाया हूं, आप ही खरीद लीजिए। मैंने उनको बताया कि आपको गलतफ़हमी है कि सिर्फ जम्मू-कश्मीर वाले ही वहां ज़मीन खरीद सकते हैं। आप तो एकड़ों में ज़मीन खरीद लेंगे। मैंने उनसे पूछा, क्या आपको मालूम है कि जम्मू शहर और श्रीनगर शहर में ज़मीन का प्रति एकड़ रेट क्या है? उन्होंने कहा शायद 30-40 लाख रुपये प्रति एकड़ होगा। तो मैंने उनको बताया कि 30-40 लाख रुपये प्रति एकड़ नहीं, वहां पर 40-50 करोड़ रुपये प्रति एकड़ का रेट है। जम्मू शहर या श्रीनगर शहर में आपको 40-50 करोड़ रुपये में एक एकड़ ज़मीन मिलेगी। इसका कारण यह है कि वहां ज़मीन है ही नहीं। हमारी सारी ज़मीन में जंगल और पहाड़ हैं। महाराजा हरि सिंह जी ने इसीलिए यह चीज़ रखी थी कि जब वहां पर ज़मीन ही नहीं है, ऐसे में अगर कोई बाहर वाला हमारी यह ज़मीन भी ले जाएगा, तो यहां के लोग कहां जाएंगे और क्या खाएंगे? इसी तरह नौकरी में भी यह प्रोविज़न रखा गया था ताकि कोई बाहर वाला वहां नौकरी के लिए नहीं जा सके। जम्मू-कश्मीर हिन्दुस्तान का आखिरी हिस्सा है, जहां हिन्दुस्तान खत्म होता है या यह भी कह सकते हैं कि जहां से हिन्दुस्तान शुरू होता है। हमारे एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ चीन है। कश्मीर तक अभी रेल की सुविधा नहीं पहुंची है। वहां गाड़ियों में माल जाता है, इसलिए वहां पहुंच कर सबसे महंगा माल बिकता है। गुजरात से, तमिलनाडु से, मुम्बई से तैयार माल वहां जाता है। जहां तक ट्रेन की सुविधा है, वहां तक तो ठीक है। वहां से ट्रकों में माल जाना है, इसलिए डबल महंगा हो जाता है। वहां कोई उद्योग नहीं बना, अनसर्टेनिटी की वजह से, दुर्भाग्य है, कोई बड़ा उद्योग नहीं है। यही छोटे-छोटे उद्योग हैं, जो मैंने ये 12 हज़ार गिने, ये 12 हज़ार उद्योग किसी गुजरात के या मुम्बई वाले उद्योग के एन्सिलियरी होंगे, जिनमें बेचारे 10-15 लोग काम करते हैं। ये छोटे-छोटे उद्योग हैं, इन्हीं पर हम गुज़ारा करते हैं, वहां बड़ा उद्योग नहीं है। जब बड़ा उद्योग नहीं है तो नौकरी नहीं है। इसलिए वहां जो इम्प्लॉयमेन्ट है... वहां कोई उद्योग नहीं है, केवल ये छोटी-मोटी नौकरियां ही उद्योग हैं। इसी कारण से एमफिल पढ़ा हुआ लड़का, जम्मू और कश्मीर का पीएचडी करा हुआ लड़का, जिसके दो बच्चे हों, ऐसे तीन हज़ार लड़के, तीन-तीन हज़ार रुपये पर सात साल काम करते हैं।

इसलिए माननीय गृह मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि जम्मू-कश्मीर...

†**قائد حزب اختلاف (جناب غلام نبی آزاد)** : مانئے چیئرمین سر، آج جو بل یہاں سدن کے سامنے رکھا گیا ہے، وہ جموں-کشمیر کا آئی-اے-ایس، آئی-پی-ایس، آئی-ایف-ایس- کا جو کیڈر ہے، اس کو گووا، میزورم اور اروناچل پردیش کے کیڈر کے ساتھہ مرج کرنے کے لئے، جو قانون بنایا جا رہا ہے، اس قانون کے بارے میں ہے-

(اُپ سبھا پتی صدر نشیں ہوئے)

اگر یہ نارمل یونین ٹیریٹری ہوتا، تو شاید مجھے کوئی آپتّی نہیں ہوتی، لیکن جیسا کہ اس سدن میں مانّئے پردھان منتری جی اور مانّئے گرہ منتری جی نے بھی بتایا ہے کہ جموں-کشمیر کے اسٹیٹ کو یونین ٹیریٹری کا درجہ کچھہ وقت کے لئے دیا گیا تھا اور اس کے بعد جموں-کشمیر کو دوبارہ سے اسٹیٹ-ہوڈ دیا جائے گا تو میں مانّئے گرہ منتری جی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اسٹیٹ بنانا ہے، جو کہ بہت ضروری ہے، اور کیوں ضروری ہے، اس کے بارے میں، میں آگے بتاؤں گا- جب پچھلے تین سال سے، پہلے گورنر رول اور جب سے یوٹی- بنا اب لیفٹننٹ گورنر رول----

اگر تب سے اسی cadre سے کام چل رہا تھا اور اگر آپ نے کچھ مہینوں میں اسٹیٹ ہوڈ دینی ہے، تو جب اتنے سال سے اسی cadre سے کام چل رہا تھا، تو اس کو اب مرج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے ایک بڑی

† Transliteration in Urdu script.

شنکا پیدا ہوتی ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا جموں و کشمیر میں permanently Union Territory نہیں رکھنا چاہتی ہے۔ اگر گورنمنٹ آف انڈیا اس کو permanently Union Territory نہیں رکھنا چاہتا ہے، تو پھر دو چار مہینوں کے لیے cadre کو مرج کرنا اور پھر اسٹیٹ بنے گا اور پھر اس سے باہر نکالنا۔ تب تک کے لیے ٹرانسفرس ادھر کی ہونگی، ادھر کی ہونگی، کوئی اروناچل پردیش سے جموں و کشمیر آئے گا، جموں و کشمیر سے اروناچل پردیش جائے گا، کوئی گوا، میزورم سے جموں وکشمیر آئے گا، جموں و کشمیر سے گوا ، میزورم جائے گا، تو پھر کچھ مہینوں کے لیے اتنی تبدیلی کرنے کی کیا ضروت تھی؟

مجھے خوشی ہے کہ مانیئے گرہ منتری جی یہاں پر بیٹھے ہیں۔ بہت ساری چیزوں پر جب آرٹیکل 370 ختم ہوا تھا، Union Territory بنا، اس پر چرچہ ہوئی تھی۔ میں آج اس پر دوبارہ چرچہ نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں کٹھور شبدوں کا بھی استعمال آج نہیں کرنا چاہتا ہوں، کیوں کہ شاید یہ اس سدن میں میری کسی بھی بل پر یا کویشچن پر آخری اسپیچ ہو۔ اس وقت کچھ ترک دیئے گئے تھے کہ یو ٹی کیوں بنایا جارہا ہے۔ اس وقت یہ ترک دیا گیا تھا کہ وہاں پر وکاس نہیں ہررہا ہے، ڈیولپمنٹ نہیں ہورہا ہے، وہاں پر باہر سے جا نہیں پارہے ہیں، وہاں پر ان کو زمین نہیں مل رہی ہے، اس لیے ادیوگ باہر سے نہیں جاپارہے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر لوگو کوemployment نہیں مل رہا ہے، وہاں پر بہت زیادہ unemployment ہے۔ اس کو یو ٹی بنائیں گے، تو بہت سارے لوگ آئیں گے، ڈیولپمنٹ کریں گے، ادیوگ لگائیں گے، وکاس کی جو گورنمنٹ ہے، وہ روچی نہیں لے رہی ہے، جو وہاں پر unemployment ہے، ہم اس کا سمادھان نکالیں گے۔

مانیئے ڈپٹی چیئرمین صاحب، جب سے لیفٹننٹ گورنر رول ہوا، خاص طور سے جب سے یونین ٹیرٹی بنا ہے اور اسٹیٹ ہوڈ ختم ہوگئی ہے۔ ایک اسٹیٹ ہندستان کے نقشے سے ختم ہوگئی اور یونین ٹیرٹری بن گیا ہے، یہ تو الگ بات ہے، لیکن میں ان مدعوں کی طرف دھیان دلانا چاہتا ہوں جن کے آدھار پر ایک بیس بنایا گیا تھا کہ یہ وجوہات یوٹی بنانے کے لیے ہیں۔

میں انڈسٹریز کی بات کرتا ہوں۔ کشمیر میں بہت کم انڈسریز جاتی ہیں۔ وہاں پر باہر کا تو کوئی جاتا ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ وہاں پر انڈسٹریز کامیاب نہیں رہتی ہیں، کیوں کہ چھ مہینے تو وہاں پر ونٹر ہوتا ہے، وہ دور بھی ہے۔ ہمارے جموں province میں دس ڈسٹرکٹس تھے اور ان دس ڈسٹرکٹس میں سے تین ڈسٹرکٹس ایسی ہیں، جو پنجاب کے ساتھ لگے ہیں، جن کا نام کٹھوعہ، سامبا اور جموں ہے۔ زیادہ تر تو کٹھوعہ میں ہیں، پھر تھوڑے سامبا میں ہیں اور تھوڑے جموں میں ہیں۔ جو باقی کے سات ڈسٹرکٹس ہیں، ان میں کوئی ادیوگ لگاتا نہیں ہے، کیوں کہ وہ جموں سے بہت دور ہیں اور وہاں ریل کی سہولیات نہیں ہیں۔ لوگ normally rail head پر ہی ادیوگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آج کے آنکڑے بتاتا ہوں۔ مانیئے ڈپٹی چیئرمین صاحب، وہاں پر نیا ادیوگ کوئی نہیں آیا ہے، لیکن ان دو سالوں میں جموں province میں ادیوگوں کی کل تعداد 12,997 تھی، تقریباً تین کم ہیں، 13,000 ادیوگوں میں۔ ان میں سے آج کتنے چل رہے ہیں۔ 5,890 ادیوگ چل رہے ہیں اور 7,107 ادیوگ بند ہوئے ہیں۔

مانیئے گرہ منتری جی 60 فیصد ادیوگ بند ہوگئے اور کوئی نیا آیا نہیں۔ یہ ترک کہاں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ترک دیا گیا تھا کہ ہم یوٹی بنائیں گے، تو باہر آئیں گے، میں اس پر یہ کہتا ہوں کہ وہ سب باہر کے تھے۔ کوئی پنجاب کا تھا، کوئی ہریانہ کا تھا، کوئی دہلی کا تھا، کوئی ممبئی کا تھا۔ یو ٹی بنانے کے بعد کوئی آی انہیں، بلکہ یوٹی بنانے کے بعد جو پرانے تھے، وہ بھی چلے گئے کیوں کہ uncertainty ہے، incentives ختم کئے گئے۔ پھر ایک ڈیڑھ سال سے، 5 اگست 2019 سے جو گتی رودھ بنتا رہا، اس سے لوگ روز بھاگتے ہی گئے۔ اس لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فارمولہ ٹھیک نہیں ہے۔

مانیئے ڈپٹی چیئرمین صاحب، ڈیولپمنٹ ٹھپ ہوگیا، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ ٹیلی ویژن میں ہوسکتا ہے، لیکن روڈ پر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ سڑکوں کی کنڈیشن بہت خرات ہے۔ یہاں تک خراب ہے کہ میں کل یا پرسوں کسی موضوع پر چرچہ کرتے ہوئے نیشنل ہائی وے کا ذکر کررہا تھا کہ تیس کلومیٹر کا ایک اسٹریچ ہے بٹوت سے بانہال تک، وہ سات سال سے نہیں بن رہا ہے۔ سال میں کئی بار ہمارا نیشنل ہائی وے بند ہی رہتاہے۔ یہ برسات میں دو، تین مہینے اور ونٹر میں چار مہینے بند رہتا ہے۔ ہمارے بارڈر ایریاز میں۔ میں اس کا زیادہ الیکھ نہیں کررہا۔ میں آج ہی بتا چکا ہوں کہ کتنے ceasefire violations بڑھگئے ہیں۔ یہ پچھلے سال پانچ ہزار سے زیادہ، اس سے پچھلے سال تین ہزار سے زیادہ، اس سے پچھلے سال تقریباً تین ہزار ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جموں، سانبا، کٹھوعہ، راجوری، پونچھ میں بہت نقصان ہوتا ہے۔ اس سے کسانوں کا بھی اور لوگوں کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ لوگوں کی جان مال کا نقصان ہوتا ہے۔ جہاں بارڈر کی لائن ہے، وہاں پانچ مرلے زمین بارڈر سے دور دینی تھی، تاکہ جب بھی فائرنگ ہوتی تو وہ بچ سکتے، لیکن وہ کام ابھی تک نہیں ہوا ہے۔

واٹر سپلائی کی بڑی پرابلم ہے۔ آپ کبھی بھی یہ اندازا لگا سکتے ہیں کہ جموں وکشمیر میں واٹر سپلائی کی پرابلم ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ جموں وکشمیر میں کوئی نہ کوئی نئے تجربے ہوتے رہتے ہیں۔ پہلے جب اریّ گیشن کے یا واٹر سپلائی کے ٹینڈرس نکلتے تھے، تو اس میں پریکیورمینٹ ڈپارٹمنٹ ستّر فیصد کرتا تھا اور تیس فیصد ویجیز کانٹریکٹر لگاتا تھا۔ میں پائپس کی مثال دیتا ہوں۔ واٹر سپلائی والے ستّر فیصد پائپ خریدتے تھے۔ وہ ایک تو سستا خریدتے تھے، سرکار سے خریدتے تھے اور ایک جگہ سے خریدتے تھے، لیکن اب یہ آدیش نکلا ہے کہ نہیں، کانٹریکٹر ستّرفیصد نہیں، بلکہ سو فیصد خود کریگا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ کانٹریکٹر ڈھونڈتا رہتا ہے کہ یہ مجھے کہاں ملے گا؟ سرکار ایک ہی وقت میں خریدتی تھی اور ایک ہی وقت پر بانٹ دیتی تھی۔ اس میں دوسری یہ غلطی کی ہے کہ اگر کہیں پائپ ٹوٹ گیا، پھٹ گیا، تو ریپیئرنگ کا جو کام ڈپارٹمنٹل ہوتا تھا، اب وہ ڈپارٹمنٹل ریپئرنگ نہیں ہوگی، اس کے لیے بھی ٹینڈر نکلے گا۔ اس کو تب تک واٹر سپلائی کے لیے پیاسا رہنا پڑتا ہے۔ اگر ڈیپارٹمنٹ ہوتا تو راتوں رات دوسرا پائپ لگاتا، اس کو جوڑ دیتا، لیکن نہیں، اب اس کے لیے بھی ٹینڈر نکلیں گے۔

مہودے، پاور کے لیے کہوں تو جب تک وہاں سرکار تھی، تب اس وقت نوّے روپے پریونٹ ٹیرف تھا، لیکن آج 375 پریونٹ ٹیرف ہے۔

Unemployment کے لیے کہوں تو Unemployment بھینکر روپ سے بڑھ گئی ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ Unemployment بڑھنے کے کیا ریزنس ہیں۔ اس کے تین چار ریزنس ہیں۔ کشمیر کا الگ ریزن ہے۔ جموں کا الگ ریزن ہے۔ کشمیر کا الگ ریزن ہے کہ پانچ اگست 2019، کو جب اسٹیٹ union territory بنایا گیا، اس کے بعد کئی مہینوں تک جموں وکشمیر کی پورا اسٹیٹ بند رہا۔ وہاں پر ایک طریقے سے کرفیو کے حالات رہے۔ اس کے بد کووڈ آیا اور نتیجہ یہ رہا کہ ٹورزم زیرو کے برابر ہوا، ہینڈی کرافٹ شونیہ کے برابر ہوا اور دوسرے ڈیولپمنٹل ورکس جموں میں بھی بند ہوگئے، کشمیر میں بھی بند ہوگئے۔

اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، ایجوکیشنل انسٹی ٹیوٹس بند رہے۔ جو پرائیویٹ اسکول تھے، ان میں بھی جن ٹیچرس کو تنخواہ ملتی تھی، وہ بھی بند ہو گئی۔ اس سے جو ایمپلائیڈ تھے، وہ بھی ان-ایمپلائیڈ ہو گئے۔ اس لئے جو ان-ایمپلائمینٹ ہوتا ہے، سرکاری ایمپلائمینٹ تو بند ہو ہی گیا، لیکن جو دوسرے تجارت کے ذریعے لوگوں کو تجارت کرنے سے پیسہ ملتا تھا، وہ بھی نہیں مل رہا ہے۔ ابھی اس وقت ان-ایمپلائمینٹ ہر لیول پر کئی گنا بڑھ گیا ہے۔ اگر وہاں سرکاری ہوتی، تواس کا سمادھان ہوتا، کیوں الیکٹڈ گوورنمینٹ ہوتی ہے، تو کچھ حد تک سمادھان ہوتا ہے۔ منتری کم ہوتے، لیکن ایم-ایل-ایز- ہوتے۔ کیوں ہم پورے دیش میں یونین ٹیرٹریزنہیں بناتے ہیں، کیوں الیکٹڈ گوورنمینٹ رکھتے ہیں؟ سر، میں کسی آفس کے خلاف، کسی لیفٹنٹ گورنر یا گورنر کے خلاف نہیں ہوں، لیکن مانّیے گرہ منتری جی یہ مانیں گے کہ جو ذمہ داری ایک elected representative کی ہوتی ہے، وہ ایک ملازم کی نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے ابھی جموں-کشمیر میں بی-ڈی-سی- اور ڈی-ڈی-سی- کے الیکشنس کرائے، جس کی ہم نے سراہنا کی، جس کو ہم نے سپورٹ کیا۔ کیوں کیا؟ آپ نے یہ الیکشنس کیوں کرائے؟ ایسا اسلئے، تاکہ elected representatives اس لیول پر بھی ہوں، بلاک لیول پر بھی ہوں، ڈسٹرکٹ لیول پر بھی ہوں، چھوٹی چھوٹی constituencies میں بھی ہوں اور وہ ڈیولپمینٹ کریں۔ لیکن ایم-ایل-اے- تو قانون بھی بناتا ہے، اب ہمارا آفیسر تو قانون نہیں بنا سکتا۔ وہ قانون بنائے گا، تو وہ ایک جگہ ایک آدمی بنائے گا۔ ابھی ہم یہاں ڈسکس کرتے ہیں۔ جب آپ یہاں بل لاتے ہیں، تو اس میں کتنے امینڈمینٹس آتے ہیں، اس میں کتنے suggestions آتے ہیں۔ آج لیفٹنٹ گورنر صاحب قانون بنائیں گے، آرڈر کریں گے، لیکن اس میں کوئی suggestion نہیں آئے گا۔ وہ ایک آدمی کا، چیف سکریٹری کا دماغ ہوگا یا کسی آفیسر کا دماغ ہوگا، وہ ایک آدمی کا suggestion ہوگا۔ اس کا impact دیہات میں کیا ہوگا، اس کا impact جموں میں کیا ہوگا، اس کا impact لدّاخ میں کیا ہوگا، اس کا impact کسانوں پر کیا ہوگا، مزدوروں پر کیا ہوگا، وہ نہیں سوچے گا، وہ تو دفتر میں بیٹھ کر قانون بنائے گا۔ اس impact کو دیکھنے کے لئے ہم پارلیمنٹ یا ودھان سبھاؤں میں جو قانون بناتے ہیں، اس پر چرچا ہوتی ہے اور ایک collective wisdom ہوتی ہے، اس collective wisdom سے اس کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے۔

سر، اس سرکار نے یونین ٹیریٹری کے دوران ان-ایملائمینٹ کے لئے کچھ راستے دئے، رہبر کھیل ٹیچرس، جو اسکول میں بچوں کو ٹریننگ دیتے ہیں، خاص طور سے فزیکل ٹیچرس، تین ہزار فزیکل ٹیچرس اسی سرکار میں دو سال پہلے لگے، لیکن سات سال تک ان کا پروبیشن پیریڈ ہے۔ مانّیے کرہ منتری جی، آپ حیران ہوں گے، جو Physical Teachers by selection لگائے گئے ہیں، جو بی-اے-، ایل-ایل-بی-، ہیں۔ ایم-اے- ہیں، ایم-فل- ہیں،

پی۔ایچ۔ڈی۔ ہیں، سات سال تک ان ہر مہینے صرف تین ہزار روپے ملیں گے۔ آپ کسی فزیکل ٹیچر کو تین ہزار روپے سات سال تک دے سکتے ہیں۔ مانّئے گرہ منتری جی، وہاں یہ کون سا تجربہ ہو رہا ہے؟ مجھ سے ایک ڈیلی گیشن ملا، جموں کا بھی اور سری نگر کا بھی۔ ایک کی دو لڑکیاں تھیں، دوسرے کا ایک لڑکا اور ایک لڑکی تھی، تیسرے کی ایک لڑکی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ سر، میں ہر مہینے اپنے دوستوں سے سو-سو، دوسو-دوسو روپے لیتا ہوں، کیوں بچی چھوٹی ہے اور اس کا دودھ پورا نہیں ہوتا ہے۔ مانّئے گرہ منتری جی، آپ اس کی طرف دھیان دیجئے کہ پروبیشن تو ہوتا ہے، چھ مہینے کا ہوتا ہے، ایک سال کا ہوتا ہے، لیکن اگر سات سال کا فزیکل ٹیچر کا پروبیشن ہوگا، تو اس کی آدھی نوکری اسی طرح نکل جائے گی۔ پہلے آج کل نوکری کوئی 30-25 سال والے کی تو لگتی نہیں ہے، نوکری چالیس سال والے کی لگتی ہے، اس کے بعد یہ سات سال گئے،تب تک اس کے پچاس سال ہو جائیں گے، اس کے دس سال بعد وہ ریٹائر ہوگا اور اس کے بعد اس کو پینشن بھی نہیں ہے۔ وہاں پر یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اگر وہاں ودھان سبھا ہوتی، تو ان لڑکوں کو جموں اور کشمیر سے چل کر مجھ سے ملنے کے لئے آنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ وہاں اپنا ایم۔ایل۔اے۔ ہوتا، منسٹر ہوتا، چیف منسٹر ہوتا، تو وہ ان سے مل سکتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری بات سننے کے لئے آفیسرس سے ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا ہے۔ سر، اسٹیٹ-ہڈ وہاں اسی لئے ضروری ہے۔ کسی آدمی کو چیف منسٹر بننے کا شوق ہوگا، اس کے لئے اسٹیٹ-ہڈ ضروری نہیں ہے، لیکن لوگوں کی پریشانیوں کا حل نکل سکے، اس کے لئے اسٹیٹ-ہڈ ضروری ہے۔ مانّئے گرہ منتری جی، وہاں کے لوگوں کو پانی ملے، بجلی ملے، نوکری ملے، روزگار ملے، اس کے لئے اسٹیٹ-ہڈ ضرورت ہے۔

آج ہمارا دیش کورونا سے لڑ رہا ہے۔ مانّئے پردھان منتری جی نے ابھی اپنے بھاشن میں بہت سارا وقت کورونا کو دیا۔ دیش کو بہت گورو ہے کہ ہمارے سائنٹسٹ نے اس کی ویکسین بنائی اور آج ہمارا پورا دیش اور دنیا اس کا لابھ اٹھا رہی ہے۔ لیکن ایک طرف جب ہم کورونا جیسی بیماری سے جوجھ رہے ہیں، ایسے وقت میں ہمارے ہاسپٹلس میں اسٹاف نہیں ہے۔ اگر وہاں ایم۔ایل۔اے۔ یا منتری ہوتے تو اب تک کئی میٹنگس ہو گئی ہوتیں اور فورا ایکسٹرا اسٹاف لگا دیا گیا ہوتا۔ وہاں ٹرینڈ لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ اسپیشئلسٹس، ایم۔بی۔بی۔ایس۔ لڑکے اور لڑکیاں اَن-ایمپلائیڈ بیٹھے ہوئے ہیں، میڈیکل اسٹینٹس اَن-ایمپلائیڈ بیٹھے ہوئے ہیں۔

مانّئے ڈپٹی چیئرمین صاحب، ہماری یہاں سرکاری نوکری میں ڈھائی ہزار کے قریب میڈیکل اسسٹینٹس اور فارمیسٹس ہیں۔ دوسری طرف پندرہ ہزار لڑکے اور لڑکیاں ایسے بھی یہں، جو میڈیکل اسسٹینٹ اور فارمیسسٹ کی ٹریننگ کرکے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اسٹیٹ فارمیسی ایکٹ ان کو رجسٹر ہی نہیں کرتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آج ہاسپٹلس میں ان کی کتنی ضرورت ہے۔ ایک طرف ہم نئے انسٹی ٹیوشنس بناتے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو ایم۔بی۔بی۔ایس۔، ایم۔ڈی۔، میڈیکل اسسٹنٹ اور فارمیسسٹ کی ٹریننگ دی جا سکے اور بھارت کے گاؤں گاؤں تک یہ پہنچ سکیں، لیکن دوسری طرف ہماری جموں-کشمیر میں ڈھائی ہزار بچے ٹریننگ کرکے خالی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی آفیسر کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ ان بچوں کو اسٹیٹ فارمیسی ایکٹ کے تحت پرمشن دے دے۔ اس سب لوگوں تک یہ سویدھا پہنچ سکے، اسی لئے اسٹیٹ-ہڈ ضروری ہے۔ وہاں ان-ایملائمینٹ پہلے سے ہی ہے۔

سر، آرٹیکل 370 میں زیادہ کچھ نہیں بچا تھا۔ آرٹیکل 370 میں خاص طور سے دو چیزیں بچی تھیں، ایک تو باہر والا کوئی بھی آدمی یہاں نوکری نہیں کر سکتا تھا، آئی۔اے۔ایس۔، آئی۔پی۔ایس۔ تو کر سکتے تھے، لکن باقی ملازم نہیں کر سکتے تھے۔ دوسرا، کسی اور اسٹیٹ کا کوئی بھی آدمی یہاں زمین نہیں خرید سکتا تھای۔ کئی گرامین علاقوں میں آج باہر کے لوگ آکر بس گئے ہیں اور نوکری کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کیوں وہاں پر باہر کا آدمی نوکری نہیں کر سکتا تھا؟ ایسا نہیں ہے کہ جموں-کشمیر کوئی آسمان سے اترا تھا، جس کی وجہ سے کوئی دوسرا وہاں نوکری کے لئے نہیں جا سکتا تھا اور جموں-کشمیر والے پورے ہندوستان میں جا سکتے تھے۔ یہ آج کے زمانے سے نہیں، مہاراجہ ہری سنگھ جی کے زمانے سے چلا آ رہا تھا۔ آزادی سے کئی سال پہلے، 1925 میں یہ قانون بنا دیا گیا تھا۔ اس کی وجہ سے میں اس سدن میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جموں-کشمیر میں یا تو پہاڑ ہیں یا جنگل ہیں۔ وہاں زمین نہ کے برابر ہے۔ جب جموں کشمیر یونین ٹیرٹری بنا، تو پارلیمنٹ کے میرے بہت سارے ساتھی کہنے لگے کہ ہم بھی وہاں پر زمین خریدیں گے، وہاں تو زمین بہت سستی ہوگی۔ میں نے ان سے کہا کہ آج تک میں تو وہاں زمین نہیں خرید پایا ہوں، آپ ہی خرید لیجئے۔ میں نے ان کو بتایا کہ آپ کو غلط فہمی ہے کہ صرف جموں کشمیر والے ہی وہاں زمین خرید سکتے ہیں۔ آپ تو ایکڑوں میں زمین خرید لیں گے۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ جموں شہر اور شری نگر شہر میں زمین کا پرتی ایکڑ ریٹ کیا ہے؟ انہوں نے کہا شاید 40-30 لاکھ روپے پرتی ایکڑ ہوگا۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ 40-30 لاکھ روپے پرتی ایکڑ نہیں، وہاں پر 50-40 کروڑ روپے پرتی ایکڑ کا ریٹ ہے۔ جموں شہر یا سری نگر شہر میں آپ 50-40 کروڑ روپے میں ایک ایکڑ زمین ملے

گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں زمین ہے ہی نہیں۔ ہماری ساری زمین میں جنگل اور پہاڑ ہیں۔ مہاراجہ ہری سنگھہ جی نے اسی لئے یہ چیز رکھی تھی کہ جب وہاں پر زمین ہی نہیں ہے، ایسی میں اگر کوئی باہر والا ہماری یہ زمین بھی لے جائے گا، تو یہاں کے لوگ کہاں جائیں گے اور کیا کھائیں گے؟ اسی طرح نوکری میں بھی یہ پروویژن رکھا گیا تھا تاکہ کوئی باہر والا وہاں نوکری کے لئے نہیں جا سکے۔ جموں-کشمیر ہندوستان کا آخری حصہ ہے، جہاں ہندوستان ختم ہوتا ہے یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جہاں سے ہندوستان شروع ہوتا ہے۔ ہمارے ایک طرف پاکستان ہے اور دوسری طرف چین ہے۔ کشمیر تک ابھی ریل کی سویدھا نہیں پہنچی ہے۔ وہاں گاڑیوں میں مال جاتا ہے، اس لئے وہاں پہنچ کر سب سے مہنگا مال بکتا ہے۔ گجرات سے، تمل ناڈو سے، ممبئی سے تیار مال جاتا ہے۔ جہاں تک ٹرین کی سویدھا ہے، وہاں تک تو ٹھیک ہے۔

وہاں سے ٹرکوں مین مال جانا ہے، اس لیے ڈبل مہنگا ہوجاتا ہے۔ وہاں کوئی ادیوگ نہیں بنا، انسرٹینلی کی وجہ سے ، دربھاگیہ ہے، کوئی بڑا ادھیوگ نہیں ہے، یہ چھوٹے چھوٹے ادیوگ ہیں، جو میں نے یہ بارہ ہزار گنے، یہ بارہ ہزار ادیوگ کسی گجرات کے یا ممبئی والے ادیوگ کے اینسلیری ہونگے، جن میں ہے چارے 15-10 لوگ کام کرتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے ادیوگ ہیں، انہیں پر ہم گزارا کرتے ہیں، وہاں بڑا ادیوگ نہیں ہے۔ جب بڑا ادیوگ نہیں ہے تو نوکری نہیں ہے۔ اس لیے وہاں جو امپلائمنٹ ہے، وہ ایک ادیوگ کے طور پر کام کرتے ہیں۔ وہاں کوئی ادیوگ نہیں ہے تو یہی ایک ادیوگ ہے۔ اگر ادیوگ نہیں ہوتا تو ایم فِل پرھا ہوا لڑکا، جموں اور کشمیر کا پی ایچ دی کرا ہوا لڑکا، جس کے دو بچے ہوں، تین ہزار لڑکے، تین تین ہزار روپیے پر سات سال کام کرتے ہیں۔

اس لیے مانیئے گرہ منتری جی سے میرا نویدن ہے کہ جموں وکشمیر۔۔۔

श्री उपसभापति: माननीय आज़ाद जी, आपका समय बहुत पहले खत्म हो चुका है।

श्री गुलाम नबी आज़ाद: मैं दो-तीन मिनट में खत्म कर दूंगा। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि जम्मू-कश्मीर को आप जितनी जल्दी स्टेटहुड देंगे और उसके बाद इलेक्शन करेंगे- स्टेटहुड से पहले इलेक्शन करेंगे तो फिर मामला ख़राब होगा। मैं इस बारे में किसी भी दिन आपसे अलग से बात करूंगा, आपके साथ बैठकर उसके नेगिटिव- पॉज़िटिव क्या नतीजे निकलेंगे - वे नेगेटिव चीज़ें मैं यहां कहना नहीं चाहता हूं, अच्छा भी नहीं है, लेकिन मैं यहां पॉज़िटिव चीज़ें कहूंगा। मैं परसों यहां राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर यही कह रहा था कि जम्मू-कश्मीर बॉर्डर स्टेट है, जिस तरह की टेंशन और जिस तरह हमारे दोनों तरफ से दुश्मन हैं, पाकिस्तान की तरफ से भी और चाइना की तरफ से वे हमारे सिर पर बैठे हुए हैं, तो कोई भी अक्लमंद सरकार यही करेगी कि कम से कम उनसे तो निपटते रहेंगे, लेकिन यहां अपने देश के जो लोग बॉर्डर पर हैं, वे तो हमारे साथ पीछे खड़े रहें, जिस तरह से आज तक खड़े रहे, जिस तरह से 1947 में कश्मीर के लोग खड़े रहे, जब कि फौज 27 अक्टूबर को बाद में पहुंची, लेकिन तब तक बीस दिन तो कश्मीर के लोगों ने उन्हें रोका। मैं आपको भेजूंगा, मुझे तब की एक किताब मिली है और जिसमें पहली दफा मैंने देखा कि बच्चों को थ्री नॉट थ्री बंदूक की ट्रेनिंग दी जा रही है। मैंने पहली दफ़ा देखा, शायद हिन्दुस्तान में ऐसा नहीं हुआ, जो उस बुक में है कि औरतों की एक मिलिशिया बनाई गई, उनकी बंदूकें हैं, उनको सिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान से जो रज़ाकार आ रहे हैं, उनको रज़ाकार कह रहे हैं, उनको फायर कैसे करना है। मौहल्ले-मौहल्ले की कमिटी बनाई गई। 15-20 दिन उन बच्चों ने, औरतों ने और मर्दों ने ही पाकिस्तान की फौज को रोका। उससे बड़ा टैस्ट क्या होता था, जबकि मज़हब की बुनियाद पर पाकिस्तान और हिन्दुस्तान बनाये गये थे, वे सब जाते और उनके साथ मिल जाते। वे उनके साथ नहीं मिले, बल्कि उनके साथ हमला किया। उन्होंने कश्मीर के लोगों को सूली पर चढ़ा दिया। इसलिए इन छोटी-छोटी बातों को नहीं रखना है, बड़े इतिहास को हमने देखना है और जम्मू-कश्मीर में हम हिन्दू, मुसलमान, सिख और बौद्ध आज तक एक रहे हैं और हमेशा एक रहेंगे। राजनीति में सबको मौका

मिलता है, कोई पीछे नहीं है, उसमें कोई यह नहीं कहेगा और हमें हमारी स्टेट का गौरव है। हिन्दुस्तान के सब स्टेट्स को सोचना चाहिए और सीखना चाहिए। मेज्योरिटी मुस्लिम होकर भी हमारे यहां मुसलमान डीजी को हुए कई दशक हो गये, हमारे यहां कई दशक हुए मुसलमान चीफ सैक्रेटरी को हुए, शायद तब मैं पढ़ता था। जब हमारी 80 परसेन्ट गवर्नमेन्ट होती है और मुस्लिम चीफ मिनिस्टर होते हैं, हमारे 70 परसेन्ट ऑफिसर्स नॉन-मुस्लिम लोग हुए हैं। मैंने आज तक कोई चीफ मिनिस्टर नहीं देखा, मुझसे लेकर चाहे श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद हों, श्री उमर अब्दुल्ला हों या फारूक अब्दुल्ला हों, जिनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी हिन्दू न हो, जिनका चीफ सेक्रेटरी हिन्दू न हो, जिनका डीजीपी हिन्दू न हो। जिनके आधे से ज्यादा, दो-तिहाई ऑफिसर्स चाहे वे डी.सीज़ और एस.पीज़ हों, वे हिन्दू न हों। हमारे यहां यह नहीं है और हमने कभी ऐसा नहीं सोचा है। इसलिए मैं आखिर में एक ही शेर आपसे कहता हूँ। आप यह जो तजुर्बा कर रहे हैं, हमको जो गिनी पिग बनाया जा रहा है, यह गिनी पिग के तजुर्बे बन्द कर दें। बहुत हुआ, पहले प्राइम मिनिस्टर रहा, प्रेज़िडेंट रहा, फिर चीफ मिनिस्टर रहा, गवर्नर रहा, अब हम एलजी पर पहुँच गये हैं। ये सब एक्सपेरिमेंट्स हैं। आप जानते हैं कि आज-कल वैक्सीन की बात चल रही है। मैं साइंस स्टूडेंट भी रहा हूँ, हेल्थ मिनिस्टर भी रहा हूँ। वैक्सीन आदमियों से पहले किसको दी जाती है - माउस, चूहे को, उसके बाद बन्दर को दी जाती है और उसके बाद वह आदमी पर टेस्ट होती है। यहाँ तो चूहा भी हम ही बन रहे हैं, बन्दर भी हम ही बन रहे हैं, सब एक्सपेरिमेंट्स जम्मू-कश्मीर पर किये जा रहे हैं। इस तरह हम तो इस एक्सपेरिमेंट में गिनी पिग हो गये। इसलिए खुदा के लिए इस गिनी पिग बनने से हमें बचाइए। मैं इस शेर से अपनी बात खत्म करूँगा कि 'एक रात..' - यह शेर गृह मंत्री जी के लिए है। अभी रात नहीं है, शायर ने शेर में 'रात ' बताया है, तो उसका रात वाला कोई दूसरा किस्सा रहा होगा। शायर तो आप जानते हैं, लेकिन यहाँ तो दिन में हुआ था, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था। यह जो शेर है, उसे गृह मंत्री जी समझ जायेंगे। 'एक रात आपने उम्मीद पे क्या रखा है..' - जब आपने कहा था कि वह स्टेट बनेगा, उसके बारे में बता रहा हूँ।

"एक रात से आपने उम्मीदों पर क्या रखा है?
हमने आज तक चिराग़ों को जला रखा है।"

हम तब से उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि कब आयेगी, अभी आयेगी, अभी आयेगी। अगला जो सेशन है, उसमें मैं भाषण करने के लिए नहीं रहूँगा, इसलिए हमारी तरफ से आपको यह बहुत बड़ा गिफ्ट होगा कि अगले सेशन में, इसी बजट का जो अगला भाग है, उसमें आप जम्मू-कश्मीर के statehood का बिल लायें, उससे हमारी तमाम समस्याओं का समाधान होगा और हमारी तमाम मुश्किलात दूर हो जाएँगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, गृह मंत्री जी, आपका भी धन्यवाद।

†**جناب غلام نبی آزاد** : میں دو تین منٹ میں ختم کردونگا۔ میں آپ سے یہی نویدن کرونگا کہ جموں کشمیر کو آپ جتنا جلدی اسٹیٹ ہوڈ دیں گے اور اس کے بعد الیکشن کریں گے، اسٹیٹ ہوڈ سے پہلے الیکشن کریں گے تو پھر معاملہ خراب ہوگا۔ میں اس بارے میں کسی بھی دن الگ سے بات کرونگا، آپ کے ساتھ بیٹھ کر اس کے نگیٹیو پازیٹیو کیا نتیجے نکلیں گے، یہاں وہ نگیٹیو چیزیں میں یہاں کہنا نہیں چاہتا ہوں، اچھا بھی نہیں ہے، لیکن میں یہاں پازیٹیو چیزیں کہوں گا۔ میں پرسوں یہاں راشٹرپتی مہودے کے خطاب پر یہی کہہ رہا تھا کہ جموں وکشمیر بارڈر اسٹیٹ ہے، جس طرح کی ٹینشن اور جس طرح ہمارے دونوں طرف سے دشمن ہیں، پاکستان کی طرف سے بھی اور چائنا کی طرف سے وہ ہمارے سر پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو کوئی بھی عقلمند سرکار یہی کریگی کہ کم سے کم ان سے تو نپٹتے رہیں

---

† Transliteration in Urdu script.

گے لیکن یہاں اپنے دیش کو جو لوگ بارڈر پر ہیں، وہ تو ہمارے ساتھ پیچھے کھڑے رہیں جس طرح سے آج تک کھڑے رہے، جس طرح سے 1947 میں کشمیر کے لوگ کھڑے رہے، جب کہ فوج 27 اکتوبر کو بعد میں پہنچی، لیکن تب تک بیس دن تو کشمیر کے لوگوں نے انہیں روکا۔ میں آپ کو بھیجونگا، مجھے تب کی ایک کتاب ملی ہے اور جس میں پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ جس میں بچوں کو 3 ناٹ 3 بندوق کی ٹریننگ دی جارہی ہے۔ میں نے پہلی دفعہ دیکھا، شاید ہندستان مین ایسا نہیں ہوا، جو اس بک میں ہے کہ عورتوں کی ایک ملیشیا بنائی گئی، وہ ان کی بندوقیں ہیں، ان کو سکھایا جارہا ہے کہ جو پاکستان سے جو رضاکار آرہے ہیں، ان کو رضاکار کہہ رہے ہیں، ان کو فائر کیسے کرنا ہے۔ محلے محلے کی کمیٹی بنائی گئی۔ 20-15 دن ان بچوں نے، عورتوں نے اور مردوں نے ہی پاکستان کی فوج کو روکا۔ اس سے بڑا ٹیسٹ کیا ہوتا تھا، جب کہ مذہب کی بنیاد پر پاکستان اور ہندوستان بنائے گئے تھے۔ وہ سب جاتے اور ان کے ساتھ مل جاتے۔ وہ ان ساتھی نہیں ملے، بلکہ ان کے ساتھ حملہ کیا۔ انہوں نے کشمیر کے لوگوں کو سولی پر چڑھا دیا۔ اس لئے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو نہیں رکھنا ہے، بڑے اتہاس کو ہم نے دیکھنا ہے اور جموں کشمیر میں سب ہندو، مسلمان، سکھ اور بودھ آج تک ایک رہے ہیں، اور ہمیشہ ایک رہیں گے۔ راجنیتی میں سب کو موقع ملتا ہے، کوئی پیچھے نہیں ہے، اس میں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہمیں ہماری اسٹیٹ کا گورو ہے اور ہندوستان کے سب اسٹیٹس کو سوچنا چاہئے اور سیکھنا چاہئے۔ میجورٹی مسلم ہوکر بھی ہمارے یہاں مسلمان ڈی۔جی۔ کو ہوئے کئی دہائیاں ہو گئے، ہمارے یہاں کئی دہائیاں ہوئیں مسلمان چیف سکریٹری کو ہوئے، شاید تب میں پڑھتا تھا۔ جب ہماری اسّی فیصد گوورنمینٹ ہوتی ہے اور مسلم چیف منسٹر ہوتے ہیں، ہمارے ستّر فیصد آفیسرز نان-مسلم لوگ ہوئے ہیں۔ میں نے آج تک کوئی چیف منسٹر نہیں دیکھا، مجھ سے لے کر چاہے جناب مفتی محمد سعید ہوں، جناب عمر عبداللہ ہوں یا فاروق عبداللہ ہوں، جن کا پرنسپل سکریٹری ہندو نہ ہو، جن کا چیف سکریٹری ہندو نہ ہو، جن کا ڈی۔جی۔پی۔ ہندو نہ ہو۔ جن کے آدھے سے زیادہ، دو-تہائی آفیسرز چاہے وہ ڈی۔سیز۔ اور ایس۔پیز۔ ہوں، وہ ہندو نہ ہوں، ہمارے یہاں یہ نہیں ہے اور ہم نے کبھی ایسا نہیں سوچا ہے۔

اسی لئے میں آخر میں ایک ہی شعر آپ سے کہتا ہوں۔ آپ یہ جو تجربہ کررہے ہیں، ہم کو جوگنی-پگ بنایا جا رہا ہے، یہ گنی-پگ کے تجربے بند کر دیں۔ بہت ہوا، پہلے پرائم منسٹر رہا، پریذیڈینٹ رہا، پھر چیف منسٹر رہا، گورنر رہا، اب ہم ایل۔جی۔ پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ سب ایکپیرمینٹس ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ویکسین کی بات چل رہی ہے۔ میں سائنس کا اسٹوڈینٹ بھی رہا ہوں، ہیلتھ منسٹر بھی رہا ہوں۔ ویکسین آدمیوں سے پہلے کو کو دیا جاتا ہے، ماؤس، چوہے کو، اس کے بعد بندر کو دی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ آدمی پر ٹیسٹ ہوتی ہے۔ یہاں تو چوہا بھی ہم ہی بن رہیں ہیں، بندر بھی ہم ہی بن رہے ہیں، سب ایکسپیرمینٹس جموں-کشمیر پر کئے جا رہے ہیں۔ اس طرح ہم تو اس ایکسپیرمینٹ میں گنی-پگ ہو گئے۔ اس لئے خدا کے لئے اس گنی-پگ بننے سے ہمیں بچائیے۔ میں اس شعر سے اپنی بات ختم کروں گا کہ 'ایک رات' — یہ شعر گرہ منتری جی کے لئے ہے۔ ابھی رات نہیں ہے، شاعر نے شعر میں 'رات' بتایا ہے، تو اس کا رات والا کوئی دوسرا قصہ رہا ہوگا۔ شاعر تو آپ جانتے ہیں، لیکن یہاں تو دن میں ہوا تھا، مانّئے گرہ منتری جی نے کہا تھا۔ یہ جو شعر ہے، اسے گرہ منتری جی سمجھ جائیں گے۔ 'ایک رات آپ نے امید پہ کیا رکھا ہے'--- جب آپ نے کہا تھا کہ وہ اسٹیٹ بنے گا، اس کے بارے میں، میں بتا رہا ہوں۔

ایک رات آپ نے امید پہ کیا رکھا ہے
ہم نے آج تک چراغوں کو جلا رکھا ہے

ہم تب سے امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ کب آئے گی، ابھی آئے گی، ابھی آئے گی۔ اگلا جو سیشن ہے، اس میں میں بھاشن کے لئے نہیں رہوں گا، اس لئے ہماری طرف سے آپ کو یہ بہت بڑی گفٹ ہوگی کہ اگلے سیشن میں، اسی بجٹ کا جو اگلا حصہ ہے، اس میں آپ جموں-کشمیر کے اسٹیٹ-ہڈ کا بل لائیں، ہماری تمام پریشانیوں کا حل ہوگا اور ہماری تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ آپ کا بہت بہت دھنیواد، گرہ منتری جی، آپ بھی دھنیواد۔

श्री दुष्यंत गौतम (हरियाणा): आदरणीय उपसभापति जी, आपने मुझे बोलने का जो मौका दिया है, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ।

आदरणीय उपसभापति जी, मुझे अभी-अभी जम्मू-कश्मीर चुनाव में जाने का मौका मिला। उस मौके के अन्दर मैंने देखा कि आज़ादी के बाद धारा-370 के माध्यम से वहाँ के लोगों को किस प्रकार से आज़ादी मिली है। आदरणीय वल्लभभाई पटेल जी ने अनेकानेक रियासतों को इकट्ठा करके एक देश का निर्माण किया था, लेकिन उस समय के तथाकथित शासनकर्ताओं ने जम्मू-कश्मीर को

इस तरीके से बना दिया कि सबकी रियासतें खत्म हो गयीं, लेकिन जम्मू-कश्मीर के अन्दर तीन रियासतें धारा-370 के कारण लगातार चलती रहीं। 70 वर्षों तक वे तीन रियासतें, चाहे वे मुफ्ती जी की रियासत हो या अब्दुल्ला परिवार की रियासत हो या नेहरू परिवार की रियासत हो, इन रियासतों ने लगातार इस प्रकार से ही शासन किया, जैसे रजवाड़े राज करते हैं और लगातार वहाँ की जनता का शोषण होता रहा। मुझे ध्यान है कि जब संविधान बना था, तब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी ने वोट का अधिकार दिया था और उन्होंने वोट के अधिकार में कहा था कि आज के बाद राजा-रानी के पेट से पैदा नहीं होंगे, हमारे वोट के अधिकार से पैदा होंगे। जब मैं जम्मू-कश्मीर में गया, तो देखा कि 70 वर्षों के बाद छोटे निकायों के अन्दर उनको वोट देने का अधिकार मिला, 70 वर्षों के बाद उनको लगा कि हमें आज आज़ादी मिल रही है, 70 वर्षों के बाद उनको लगा कि उनकी जो मौलिक जरूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए वे अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। उसके बाद लगातार जो विश्वास वहाँ की जनता ने दिया, तो हम जो सुनते आ रहे थे कि उस समय के लोगों ने कहा था कि हम यह धारा-370 लगा रहे हैं, जो घिसते-घिसते घिस जायेगी, लेकिन 70 वर्षों के अन्दर जनता ने जब देखा कि यह तो नहीं हटायेंगे, लेकिन उसको हटाने के बाद उन्होंने तीनों दलों को एक प्रकार से घिस दिया। चाहे वहाँ पर नेशनल कांफ्रेंस हो, मुफ्ती जी की पार्टी हो, कांग्रेस हो, तीनों दलों के बहुमत को अगर आप देखें, तो तीनों को जोड़ने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी एक सर्वोपरि दल के रूप में वहाँ पर खड़ी हुई है। यह साफ-साफ लगता है कि धारा-370 कहीं न कहीं उनका शोषण कर रही थी।

आदरणीय उपसभापति जी, अभी मुझे जम्मू-कश्मीर के अंदर जाने का मौका मिला। वहाँ पर जिस प्रकार से सीज़फायर वॉयलेशन चल रहा था, बढ़ रहा था, उस प्रकार से पूर्व के शासन में नहीं था, क्योंकि पूर्व के शासन में जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान की जो घुसपैठ लगातार बढ़ रही थी, वह घुसपैठ आज सीज़फायर तोड़ने के रूप में दिखाई देती है। इसलिए पूर्व के शासन के समय में उसको सीज़फायर तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। उस समय जम्मू-कश्मीर के अंदर ही राष्ट्र विरोधी ताकतें इकट्ठी थीं, स्कूलों को जलाया जाता था, हमारे सैनिकों पर पत्थर मारे जाते थे। वहाँ के लोकल लोग आतंकवाद के माध्यम से वहाँ की जनता को मारने का काम करते थे। मैं सीधा-सीधा कह सकता हूँ कि हमारे उस समय के शासन करने वाले कहीं न कहीं पाकिस्तान में बैठ कर मोदी जी की सरकार को गिराने का षड्यंत्र भी करते थे। देश के अंदर ऐसा वातावरण बनाया गया था, इसलिए मुझे लगता है कि उस शासन में पाकिस्तान को सीज़फायर तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि हमारे देश के अंदर ही, जम्मू-कश्मीर के अंदर ही ऐसी ताकतें बैठी हुई थीं, जो हमें demoralize करती थीं, लेकिन मुझे लगता है कि आज जम्मू-कश्मीर के अंदर पाकिस्तान जो सीज़फायर कर रहा है, वह अपनी फेस सेविंग कर रहा है, अपने आकाओं को खुश करने के लिए कर रहा है या पाकिस्तान में जो समस्याएँ हैं, उन पर पर्दा डालने के लिए यह कर रहा है।

आरदणीय उपसभापति जी, अभी लाल किले पर तिरंगे के अपमान की घटना हुई। मुझे ध्यान है कि लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए, उस समय के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुरली मनोहर जोशी जी ने अपने नेतृत्व में आह्वान किया था। उन्होंने आह्वान किया था कि मैं कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराना चाहता हूँ। तिरंगा फहराने के लिए लाखों लोग पूरे देश से चले थे, लेकिन उस समय देश पर शासन करने वाले जो तथाकथित लोग थे, उन्होंने इस प्रकार का माहौल बना दिया, वातावरण बना दिया कि पाँच-छः लोगों को ही लाल चौक पर तिरंगा फहराने की अनुमति दी गई और शायद पाँच हज़ार पुलिस वाले आसपास लगाये गये थे। उस समय हमारे आज के प्रधान

मंत्री, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने आह्वान किया था कि मैं लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए जा रहा हूँ, किसी माई के लाल में हिम्मत है, तो मुझे झंडा फहराने से रोक कर दिखाए। आज उन्होंने चरितार्थ कर दिया। आज उनके शासन काल में जम्मू-कश्मीर में ही नहीं, खाली लाल चौक पर ही नहीं, बल्कि पूरे देश में और खास करके जम्मू-कश्मीर के किसी भी कोने में तिरंगा झंडा फहराया जा सकता है, कोई माई का लाल उसको रोक नहीं सकता। हमारे शासन ने आज जम्मू-कश्मीर के अंदर यह स्थिति बनाई है। उस समय हमने तिरंगे की कद्र की थी, लेकिन लाल किले पर जिस प्रकार से तिरंगे झंडे का अपमान किया गया, यह देख कर दुख होता है। अपमान करने वाले लोग, किसान आंदोलन के माध्यम से, किसान का परदा पहन कर वहाँ पर गए थे। सभी दलों ने, खास कर सभी किसान नेताओं ने कहा कि हम यह मान कर चलते हैं कि वह एक गलत काम था, एक घिनौना काम था, लेकिन दुख तब होता है, जब तिरंगे का अपमान करने वाले को सज़ा देने की बात होती है, तब सभी कहते हैं कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जब हम उनको identify करते हैं, जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया है, जिन्होंने वहाँ पर एक धर्म का झंडा फहराया, तब यही काँग्रेस के लोग उन लोगों के लिए 70 वकील खड़े करते हैं, उनको बचाने के लिए 70 वकील खड़े करते हैं। स्टंट करते हुए किसी प्रकार से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, बड़ा दुख होता है कि एक पार्टी की वरिष्ठ नेता प्रियंका गाँधी जी वहाँ पर गईं, हमें उनके जाने पर कोई एतराज़ नहीं है, किसी की मृत्यु पर जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पर जो चार सौ सिपाही थे, सैनिक थे, जो अस्पतालों के अंदर भर्ती थे, परेशान थे, तकलीफ में थे, उनके पास जाने का उनको मौका नहीं मिला। आज तिरंगे का अपमान पर अपमान, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, लगातार किया जा रहा है। अगर इतने ही वकील 1984 के दंगे के लिए खड़े कर देते, तो मेरे ख्याल से 1984 के दंगे में जो लोग नामित थे, जिन्होंने सिखों को मारा था, उनको उसी समय सज़ा मिल गई होती। उन लोगों को न्याय के लिए मोदी सरकार का इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि मोदी सरकार आएगी और उनको सजा देने का काम करेगी। इस प्रकार से, हमने लगातार हमारे देश को एक आतंक मुक्त शासन दिया है। हम वर्ष 2014 से पहले देखा करते थे कि देश में बसों के अंदर, ट्रेनों के अंदर, अनेक मार्केट्स के अंदर यही लिखा रहता था कि "कृपया देखें, कोई आपत्तिजनक चीज़ बम हो सकती है", लेकिन आपको दिखाई देगा कि हमारे सुशासन के कारण आज बस और ट्रेनों के अंदर तो क्या, देश के किसी भी कोने में किसी को भी बम तो दूर है, पटाखा छोड़ने की भी इजाज़त नहीं है। हमने ऐसा शासन देने का काम किया है कि हमारे देश के नागरिक बिना किसी खतरे के कहीं भी घूम सकते हैं।

आदरणीय उपसभापति महोदय, मुझे ध्यान आता है कि जब धारा-370 लगाई गई थी, तब डा. भीमराव अम्बेडकर जी ने उसका बहुत विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि धारा-370 के कारण कोई व्यक्ति पूरे देश में कमाएगा और कश्मीर में बैठकर खाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब कश्मीरियों को यह हक है, तो पूरे देश को भी यह हक है। जब कश्मीरी पूरे देश में रह सकते हैं, तो पूरा देश भी कश्मीर में रह सकता है। मुझे दुख होता है कि हमारे कश्मीर के अंदर दो विधान, दो निशान, दो प्रधान चल रहे थे। हमारे प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्यामाप्रसाद मुखर्जी जी ने कश्मीर को जोड़ने के लिए अपना बलिदान दिया था। मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि ये काँग्रेस के लोग धारा-370 की वकालत करते थे, बड़े-बड़े भाषण दिया करते थे। मुझे ध्यान है कि वहाँ पर 70 के दशक तक आरक्षण लागू नहीं होता था। मैं अभी पीछे जम्मू-कश्मीर गया था। मैंने विधान सभा के सामने भगत अमरनाथ जी की एक मूर्ति का अनावरण किया था। उनकी मूर्ति

का अनावरण करते हुए मुझे जानकारी मिली कि उन्होंने वहाँ पर एक आंदोलन किया था, assembly के सामने भूख हड़ताल की थी और उनका बलिदान हो गया था। उनके बलिदान के बाद ही वहाँ पर आरक्षण मिलना शुरू हुआ था।

आदरणीय उपसभापति महोदय, आज धारा-370 हटने के बाद बड़ी-बड़ी बातें की जा रही हैं कि नौकरी में यह हो गया, नौकरी में वह हो गया। किसी को यह चिंता नहीं थी कि जो लाखों वाल्मीकि समाज के लोग जम्मू-कश्मीर में रहते थे, उनके बच्चे डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, प्रोफेसर बन गए, उन्होंने अनेकानेक शिक्षाएं प्राप्त कीं, लेकिन वहाँ की सरकार यह कहती थी कि धारा-370 के तहत हम आपको सफाई कर्मचारी ही बना सकते हैं, हम आपको कोई नौकरी नहीं दे सकते हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ ऐसा घिनौना अपराध किया गया और सिर्फ उनके साथ ही नहीं, बल्कि डा. अम्बेडकर के साथ भी ऐसा ही किया गया। डा. अम्बेडकर जी का सिर्फ एक ही कुसूर था कि वे धारा-370 नहीं चाहते थे, डा. अम्बेडकर जी का एक ही कुसूर था कि वे मजबूत भारत चाहते थे, डा. अंबेडकर जी का यही कुसूर था कि वे तुष्टिकरण की नीति को नहीं चाहते थे। यही कारण है कि जब इनकी काँग्रेस सरकार का शासन समाप्त हो गया, तब उनको भारत रत्न मिला, उस समय देश में गैर काँग्रेसी सरकार थी। यह इनका डा. अम्बेडकर जी के लिए 36 का आंकड़ा था।

आदरणीय उपसभापति जी, मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ। जब हम दिल्ली में बच्चों को घुमाने के लिए जाते थे, तब हम मार्केट में घूमते हुए बच्चों को अनेकानेक समाधियाँ दिखाया करते थे, अनेकानेक संग्रहालय दिखाया करते थे। क्योंकि मैं दलित समाज से आता हूँ, इसलिए हमारे बच्चे भी पूछा करते थे कि पापा, सबकी समाधियाँ दिखाई देती हैं, सबके संग्रहालय दिखाई देते हैं, लेकिन डा. अम्बेडकर की समाधि कहाँ है, डा. अम्बेडकर का संग्रहालय कहाँ है? मुझे बड़ा दुख होता था कि जिस समय डा. अम्बेडकर जी ने अंतिम सांस ली, उस समय के शासनकर्ताओं ने डा. अम्बेडकर जी की डेड बॉडी का दिल्ली में कहीं भी अंतिम संस्कार नहीं करने दिया और उन्हें बॉम्बे ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। वहाँ पर भी एक छोटी सी चैत्य भूमि बनाई गई थी। उस समय भी वहाँ पर आदरणीय गडकरी जी राज्य मंत्री थे। दादर में समुद्र किनारे एक चैत्य भूमि बनाई गई थी। उस समय हमारे अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित डा. अम्बेडकर के सभी अनुयायी, जो उन्हें मानते थे, वे उस समय के शासनकर्ताओं से निवेदन और प्रार्थना करते रहते थे कि डा. अम्बेडकर जी को भी सम्मान दीजिएगा, लेकिन उन्हें कभी भी सम्मान नहीं दिया गया। आज मैं देश के प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपनी दूरदृष्टि से, बिना वोट बैंक की राजनीति के कहा कि जब सबकी समाधि हो सकती हैं, तो डा. अम्बेडकर की समाधि क्यों नहीं हो सकती? वहाँ पर Indu mill बंद पड़ी हुई थी। उन्होंने वह साढ़े दस एकड़ की Indu mill लेकर डा. भीमराव अम्बेडकर की समाधि, चैत्य भूमि बनाने का काम किया है, इसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ।

आदरणीय उपसभापति जी, यह पीड़ा और तकलीफ है। यह तकलीफ बार-बार होती है और कहती है कि मैं सभी के संग्रहालय गया, मैंने इंदिरा गांधी का संग्रहालय भी जाकर देखा, मैं उनको भी नमन करता हूँ कि उनकी जिस साड़ी पर गोली लगी थी, वहाँ वह साड़ी भी दिखाई देती है। ऐसे अनेक महापुरुष हुए, जिनके संग्रहालय मैंने दिल्ली के अंदर देखे हैं या देश के अंदर देखे हैं, लेकिन डा. भीमराव अम्बेडकर जी का संग्रहालय मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। वह क्यों नहीं दिखाई दिया? क्योंकि इनको अभी तक शासन करने में यही लगा कि अगर किसी और को महापुरुष बना दिया, तो हम नेहरू खानदान का गुणगान कैसे करेंगे? आज मुझे मालूम पड़ रहा है कि जब 26, अलीपुर रोड

से इन कांग्रेसियों ने डा. भीमराव अम्बेडकर जी का सामान उठाकर बाहर फेंक दिया था, तब उनके साथ नानक चंद रत्तू जी थे, जो उस सामान को लेकर नागपुर से 35 किलोमीटर दूर चिचोली गाँव में अपने यहाँ ले गए थे। वहाँ पर उस सामान को रखा गया। मुझे ध्यान आता है, वर्ष 2013 में मीडिया ने इस बारे में आवाज़ उठाई। जब एक घर के अंदर कोई व्यक्ति रहता है, तो वहाँ उसकी चारपाई भी होती है, उसकी कुर्सी भी होती है, उसकी टेबल भी होती है, पढ़ाई का सामान भी होता है। वे वायसराय थे, कोट भी पहना करते थे, टाइयाँ भी डाला करते थे। जब मैंने वहाँ पर जाकर देखा, तो पाया कि उनकी सारी टाइयों को दीमक खा गई है।

श्री उपसभापति : माननीय दुष्यंत जी, आप कन्क्लूड करें, आपका समय पूरा हो रहा है।

श्री दुष्यंत गौतम : जी सर, दो मिनट।

श्री उपसभापति : दो मिनट नहीं, समय कम है, अब आप कन्क्लूड करें।

श्री जयराम रमेश (कर्नाटक) **:** सर, ये बिल पर नहीं बोल रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री दुष्यंत गौतम : उनकी टाइयों को भी दीमक खा गई है, कोटों को भी दीमक खा गई है। जिस टाइपराइटर से संविधान लिखा गया, वह भी टूट गया है। जिस कुर्सी पर वे बैठते थे, वह कुर्सी भी टूट गई है, लेकिन इन्होंने कभी उसकी चिन्ता नहीं की। आज वहाँ पर 13 एकड़ जमीन के अंदर हम डा. अम्बेडकर जी का संग्रहालय बनाने का काम कर रहे हैं।

आदरणीय उपसभापति जी, जिस प्रकार से लगातार कांग्रेस और विरोधी दलों ने यह मन बना लिया है कि हम सीएए का भी विरोध करेंगे, जबकि ये सीएए लाना चाहते थे...

श्री उपसभापति : माननीय दुष्यंत जी, खत्म करें।

श्री दुष्यंत गौतम : उपसभापति जी, मैं कहूँगा कि अगर आप मुझे दो-तीन मिनट और दे देंगे, तो मैं अपनी पूरी बात को रख दूँगा। सीएए से अगर किसी को लाभ होने वाला था, तो वह दलितों को होने वाला था। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : समय तय है, समय की सीमा है।

श्री दुष्यंत गौतम : सर, अब अंत में, मैं खत्म कर रहा हूँ। सीएए, जीएसटी, इनके सारे बनाए कानूनों को हम लाने का काम कर रहे हैं।

श्री उपसभापति : धन्यवाद, माननीय दुष्यंत जी।

श्री दुष्यंत गौतम : इनके विरोध की मानसिकता इस प्रकार से बन गई है कि अगर मोदी जी इनको हलवा भी खिलाएँगे और कहेंगे कि मीठा हलवा है, तो ये कहेंगे कि नहीं, हलवा फीका है, केवल चीनी मीठी थी। बहुत-बहुत धन्यवाद, सर।

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (Tamil Nadu): Sir, I rise to support this Bill. Even on the earlier occasion, I supported the main Act, the Jammu & Kashmir Reorganization Act. Now, the Bill is being brought to bring amendment to Sections 13 and 88. It is a welcome step. I welcome it because there is a huge deficiency of officers of All India Services in the Union Territory of Jammu & Kashmir and the developmental and Centrally-sponsored schemes are not being carried out there. Hence, Jammu & Kashmir requires more number of officers of the All India Services. That is why, now it is being merged with the Arunachal Pradesh, Goa and Mizoram cadres. So, officers from these cadres can be posted to the Union Territory of Jammu & Kashmir to meet out the deficiency to some extent. So, it is for a good purpose and a good object that this Amendment has been brought in. I welcome it. Jammu & Kashmir is better off now as a Union Territory. Considering the attitude of border nations like Pakistan and China, Jammu & Kashmir must be under the direct control of the Union Government. This is my humble view.

I welcome and support this Bill. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Now, Dr. Amar Patnaik; not present. Shri V. Vijayasai Reddy; not present. Prof. Manoj Kumar Jha.

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार) : उपसभापति महोदय, आज The Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2021 पर मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं। हमारे Leader of Opposition, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बहुत तफ़सील से अपनी बातें रखीं। मैं दो-तीन चीज़ों के लिए दरख्वास्त करूंगा कि आप जो कैडर परिवर्तन कर रहे हैं, यह परिवर्तन temporary है या permanent है, यह जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे कई सारे दोस्त ब्यूरोक्रेसी में हैं, पुलिस में हैं। महोदय, मेरे पास कम से कम डेढ़-दो मिनट का समय तो होगा?

श्री उपसभापति : जी।

प्रो. मनोज कुमार झा : मैं समझता हूं कि अक्सर जब उनका ट्रांसफर अरुणाचल प्रदेश में होता है, तो वे किसी न किसी जुगाड़ में रहते हैं कि दिल्ली में ही arrangement हो जाए, ताकि उन जगहों पर न जाना पड़े। हमें इन विषयों को ध्यान में रखना है।

माननीय उपसभापति महोदय, यहां माननीय गृह मंत्री जी भी मौजूद हैं। मेरा ताल्लुक एजुकेशन से है और मेरे कई सारे स्टूडेंट्स जम्मू-कश्मीर से हैं और वे जम्मू-कश्मीर में अब टीचर हैं।

महोदय, हमने बीते दो वर्षों में बहुत परेशानियां देखी हैं। अभी आपने दो दिन पहले 4G introduce किया। ज़ाहिर है, हमने देखा है कि कई सारे विद्यार्थी, जो हमारे विश्वविद्यालय में पीएचडी में एडमिशन लेते, वे नहीं ले पाए, क्योंकि वे पहुंच नहीं पाए। मैं खुद गवाह हूं कि मेरे यहां दो पीएचडी स्टूडेंट्स को आना था, वे नहीं आ पाए, क्योंकि वे उस समय meet नहीं कर पाए। ज़ाहिर तौर पर वहां की एजुकेशन की अभी जो हालत है, मैं समझता हूं। हम बार-बार कहते हैं और मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं कि कश्मीर हिन्दुस्तान का अभिन्न हिस्सा है। महोदय, कोई भी अभिन्न हिस्सा किसी भी तरह का भिन्न व्यवहार स्वीकार नहीं कर पाएगा। हो सकता है तात्कालिक तौर पर यह मुद्दा न बने, लेकिन आगे बन सकता है।

दूसरी चीज़ मैं माननीय गृह मंत्री जी को आपके माध्यम से कहूंगा कि कश्मीर को लेकर जो पूरा narrative है, वह ज़मीन के टुकड़े को लेकर है। मैंने इसी सदन में पहले कहा कि कोई भी territory सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं होती है, वह चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या जम्मू-कश्मीर हो। वहां ज़िंदा लोग रहते हैं। सर, मैं एक मिनट का समय और लूंगा, उससे ज्यादा नहीं लूंगा। वैसे भी कई लोग आज सदन में नहीं थे।

श्री उपसभापति : अन्य लोग हैं।

प्रो. मनोज कुमार झा : सर, normalcy in Jammu and Kashmir को लेकर काफी चर्चा हुई। Normalcy सिर्फ rhetoric नहीं होनी चाहिए, वह reality में तब्दील होनी चाहिए। मेरा अपना उदाहरण भी है। विपक्ष के कई सांसद वहां जाना चाहते थे। हमें एयरपोर्ट पर रोक दिया गया, लेकिन बाद में EU के सांसदों को जाने की इजाज़त दी गई।

मेरी आखिरी टिप्पणी यह है कि इतने निर्णय के बाद क्या मिलिटेंसी में रिक्रूटमेंट में बढ़ोतरी हुई? आप कश्मीर को नॉर्मल कीजिए, कश्मीर की तथाकथित normalcy पूरे देश को न झेलनी पड़े। कश्मीर वाली normalcy, जो हम हाल के दिनों में दिल्ली के बॉर्डर पर देख रहे हैं, वह न हो। जय-हिन्द।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri M.V. Shreyams Kumar; not present. Shri Binoy Viswam; not present. Shri Sushil Kumar Gupta; not present. Shri Ashok Siddharth.

श्री अशोक सिद्धार्थ (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति महोदय, मैं आज इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, क्योंकि जब धारा-370 खत्म की गई थी, उसके आधार पर जो बाकी सुविधाएं वहां पर बहाल करने की बात आई है, उसमें जम्मू-कश्मीर कैडर के आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के लोगों को अब एक नए कैडर, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरिटरी के कैडर में संबद्ध किया जाएगा। इससे दो चीज़ें स्पष्ट हैं। जब जम्मू-कश्मीर में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार या अन्य तमाम प्रदेशों के नौजवान वहां आईएएस, आईपीएस और आईएफएस की नौकरी करने जाते थे, तो उनके परिवार के लोग बहुत चिंतित रहते थे। हालांकि जम्मू-कश्मीर भारत की ही नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है। वहां घूमने के लिए सब लोग आतुर रहते हैं और जाना चाहते हैं, लेकिन प्रायः देखा गया है कि जब भी जम्मू-कश्मीर कैडर allot होता था, चाहे

वह आईएएस का हो, आईपीएस का हो या आईएफएस का हो, तो परिवार के लोगों में थोड़ी चिंता रहती थी, क्योंकि वहां पर हमेशा से ही कुछ न कुछ तनाव रहता था। उपसभापति महोदय, पहले लद्दाख व जम्मू-कश्मीर एक स्टेट था, अब जम्मू-कश्मीर Union Territory हो गया है। पहले वहां पर जो KAS ऑफिसर्स, स्टेट सर्विस के ऑफिसर्स थे, उनको 50 per cent promotion देकर IAS बनाने की प्रक्रिया थी, लेकिन इस बिल के पास होने के बाद उनको मात्र 33 per cent promote किया जाएगा। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि यह 50 per cent की प्रक्रिया बहाल रखी जाए, चूंकि जब 50 per cent की प्रक्रिया होगी, तो जो SC/ST के लोग reservation पाकर KAS बनेंगे, उनको भी IAS बनने का मौका मिलेगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक और निवेदन करना चाहूंगा कि धारा-370 समाप्त होने के बाद से पूरे जम्मू-कश्मीर रीजन में एक भय का वातावरण रहा है और पूरे देश में भी रहा है। इससे जनजीवन की व्यवस्थाएं इतने लम्बे समय तक बंद कर दी गई थीं, धीरे-धीरे उनको लागू किया जा रहा है। मेरा अनुरोध है कि वहां पर जो चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा और ट्रांसपोर्टेशन की मौलिक सुविधाएं हैं, उनको यथाशीघ्र पूरी तरह से लागू किया जाए। इसके साथ ही जो टेलीफोन व मोबाइल हमारे जीवन का एक मुख्य अंग बन गया है, इनकी इंटरनेट की सुविधाओं को भी पूरी तरह से लागू किया जाए। मैं निम्न चार लाइनों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं,

"मौत सच है यह बात अपनी जगह,
ज़िंदगी का श्रृंगार करते रहो।
नफा-नुकसान होता रहता है,
प्यार का कारोबार करते रहो।"

धन्यवाद, महोदय।

श्री सुशील कुमार गुप्ता (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली) : उपसभापति महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आपने इस बिल में कहा है कि अभी जम्मू-कश्मीर की efficiency down है, ऑफिसर्स कम हैं, इसलिए दूसरे कैडर को मिलाकर एक कैडर करना चाहते हैं, ताकि AGMUT में जो अधिक ऑफिसर्स हैं, उनको वहां पर ट्रांसफर करके efficiency का लाभ उठाया जा सके। मैं यह जानकारी लेना चाहूंगा कि किस-किस UT में या किस राज्य में, जहां पर अधिक ऑफिसर्स हैं, उनको वहां पर ट्रांसफर करके आप यह करना चाहते हैं? मेरा इस अवसर पर एक और निवेदन यह है कि जब आपने धारा-370 हटाई थी, तो आपने कहा था कि जम्मू-कश्मीर की हालत बहुत खराब है और हम बहुत जल्द हालात ठीक करके इसको पुनः पूर्ण राज्य के अंदर कन्वर्ट करेंगे। हालात को ठीक करने के लिए और धारा-370 हटाने के लिए आम आदमी पार्टी ने आपका पूर्ण समर्थन किया था। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्री जी कृपया बताएं कि हालात कब ठीक होंगे और जम्मू-कश्मीर को UT से पुनः पूर्ण राज्य में कब कन्वर्ट किया जाएगा? अगर इसको पूर्ण राज्य के अंदर कन्वर्ट जल्दी से होना है, तो आप इन ऑफिसर्स को आज हिन्दुस्तान के कोने-कोने से जम्मू-कश्मीर भेजेंगे और जम्मू-कश्मीर से हिन्दुस्तान के कोने-कोने में आएंगे, तो पुनः राज्य बनने के बाद इनको वापस अपने कैडर के अंदर भेजा जाएगा या इनका कैडर वही रहेगा? मैं आपसे यह निवदेन

करना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर हिन्दुस्तान का सिर है, हिन्दुस्तान का ताज है, हिन्दुस्तान का अभिन्न हिस्सा है, हमें इस बात पर गर्व है। यदि जम्मू-कश्मीर काफी लम्बे समय तक आधी शक्ति के साथ रहेगा, तो कहीं न कहीं हमारे दिल के अंदर एक बात आएगी कि जम्मू-कश्मीर के लोगों को अपना पूर्ण अधिकार नहीं मिला।

महोदय, मेरा आपसे इसीलिए यह निवेदन है कि जल्द से जल्द हालात को सामान्य करने की दिशा में सरकार प्रयत्न करे और उसको पूर्ण राज्य में कन्वर्ट करे, जैसा आपने उस समय आश्वासन दिया था। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री शमशेर सिंह मन्हास (जम्मू-कश्मीर) : उपसभापति महोदय, आज सुबह हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में गिनाया कि किस प्रकार हमारा देश प्रगति पर है। उनका भाषण समाप्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर री-आर्गेनाइज़ेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2021 यहां पर लाया गया। सर्वप्रथम आदरणीय गुलाम नबी आज़ाद जी, जो मेरे बड़े भाई हैं और जम्मू-कश्मीर से आते हैं, उनका बोलना प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम उन्होंने यह कहा कि यदि जम्मू-कश्मीर में देखा जाए, तो विकास के नाम पर किसी प्रकार की कोई चीज़ वहां पर नहीं हुई है। हम सब यह जानते हैं कि पिछले दो वर्षों के कार्यकाल में पूरे देश में हमारी केन्द्र सरकार ने कितनी योजनाएं प्रारंभ की हैं और उनको प्रारंभ करने के बाद इम्प्लिमेंट करने का प्रयास भी किया जा रहा है। किंतु शायद उन्हें दिखता नहीं, लगता नहीं। उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि बटौत से लेकर बनिहाल तक 30 किलोमीटर का एरिया है, जहां पर सड़कें बंद हो जाती हैं, जाना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने स्पष्ट क्यों नहीं किया कि जब बरसात के मौसम में पहाड़ी क्षेत्र में बर्फ गिरती है और जब बर्फ पिघलती है, तब वहां पर लैंड स्लाइड्स होती हैं। यह आज से नहीं, 1947 से नहीं, यह परंपरागत जब से रहा होगा, तब से हमेशा उस क्षेत्र में उस प्रकार की लैंड स्लाइड्स होती होंगी, रास्ते बंद होते होंगे, गाड़ियां नहीं चल पाती होंगी। इसलिए एक चीज़ को लेकर बोलना और केवल मात्र वह चीज़ बोलना, यह उचित नहीं है।

दूसरी बात मैं यह बोलना चाहूंगा कि आज जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए हमारा काम बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर तीन-तीन एम्स दिए गए हैं। जम्मू में अलग से एम्स दिया गया है, कश्मीर में अलग से एम्स दिया गया है और लद्दाख, जो कि दूसरी यू.टी. बन गई है, वहां पर तीसरा एम्स दिया गया है। कई स्थानों पर तो एक भी एम्स नहीं मिलता होगा, जबकि वहां पर तीन-तीन एम्स दिए गए हैं। वहां आईआईटी मिला, वहां पर आईआईएम बन रहा है और वहां पर हर प्रकार का निर्माण हो रहा है। मैं कहता हूं कि जम्मू-कश्मीर के इर्द-गिर्द एक रिंग रोड बन रही है। उस रिंग रोड को बनाने के लिए बहुत व्यवस्था चाहिए। हमारी जो रोड्स हैं, वे आज़ाद साहब के समय, जब वे मुख्य मंत्री थे, तो सिंगल लेन होती थी। आज उनको डबल लेन या फोर लेन किया जा रहा है। वे देख नहीं रहे हैं कि विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन सब चीज़ों के लिए जितने भी वक्ता यहां पर बोल रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे एक बार जम्मू में आकर देखने का प्रयास करें कि आज जम्मू कितना आगे बढ़ चुका है। एमएसएमई के माध्यम से, उन्होंने गिनाया कि हमारे 12 हज़ार से ज्यादा उद्योग थे। आज उन उद्योगों को देखा जाए, तो सबसे ज्यादा क्षेत्र जो handicrafts के माध्यम से चाहे कालीन बनता होगा, चाहे अखरोट की लकड़ी का काम होता होगा, चाहे दूसरे कार्य होते होंगे, वे सारे छोटे-छोटे लघु उद्योग जिस प्रकार से पनप रहे हैं, उनके बारे में मैं केन्द्र

सरकार से और हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि इन लघु उद्योगों को बढ़ाने के लिए और प्रयास करें।

1.00 P.M.

ताकि हमारा जम्मू-कश्मीर और पनप सके और वहां रोजगार के और साधन मिल सकें। उनको रोजगार के साधन मिलेंगे, तो हमारा प्रदेश तरक्की कर सकता है। इसलिए कहा गया है कि वहां पर इतने सारे काम करने के उपरांत जिस प्रकार का सरकारी तंत्र है, जिस प्रकार के हमारे आईएएस ऑफिसर्स हैं, जिस प्रकार के आईपीएस ऑफिसर्स हैं, वे बहुत कम मात्रा में हैं। अगर ज्यादा काम करने होंगे, तो ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए इन ऑफिसर्स को जैसे मिज़ोरम, उत्तराखंड और बाकी क्षेत्रों यानी यूटी के साथ मिलाकर, वहां से और ऑफिसर्स वहां पर लाएं जाएं, तो हमारा काम और तीव्र गति से बढ़ सकता है। अगर हमारे पास छोटा सा समय रहेगा, ऑफिसर्स कम रहेंगे, तो यह काम कम अवधि में नहीं हो सकता। जैसे हम जानते हैं कि पुंछ की ओर रेल का निर्माण करवाना, आज रेल का निर्माण करवाने के लिए वहां पर जिस प्रकार के लोग चाहिए, जिस प्रकार के कार्यकर्ता चाहिए, जिस प्रकार के ऑफिसर्स चाहिए, वे नहीं हैं। इसी प्रकार वहां पर फोर लेन बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, वे नहीं हैं। जिस प्रकार डैम्स और जैसे कि पावर सेक्टर के संबंध में बोला गया था और यहां पर माननीय सदस्य बोल रहे थे, मैं उनसे आग्रहपूर्वक निवेदन करूंगा कि जब आप मुख्य मंत्री थे, उस समय हमारे पास कितनी पावर थी और आज हमारे पास कितने प्रोजेक्ट्स और लगे हैं जिससे कि अब जम्मू-कश्मीर में पावर तीन गुना बढ़ चुकी है। यह सारा कार्य कैसे होगा और इन कार्यों को बढ़ाने के लिए वहां पर ऑफिसर्स चाहिए। अगर हमारे पास मैक्सिमम ऑफिसर्स होंगे, तो हम सारे कार्य कर सकते हैं। अन्यथा उनको कौन करेगा, कौन संभालेगा, कौन देख-रेख करेगा, कौन लुक आफ्टर करेगा? इन सब चीज़ों को लुक आफ्टर करने के लिए ऑफिसर्स की जरूरत होती है। इसलिए चार-पांच यूटीज़ को मिलाकर, उन ऑफिसर्स को वहां पर तैनात किया जाए, ताकि हमारा काम और आगे बढ़ सके। एक हमारे बंधु बोल रहे थे, मैं उनका समर्थन करता हूं कि जम्मू में केएएस और केपीएस के जो लोग हैं, पहले उनकी 50 परसेंट प्रोमोशन्स होती थीं, आज वहां पर उनको 33 प्रतिशत पर रखा गया है। मैं कहना चाहता हूं कि यह 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 परसेंट ही रखा जाए, ताकि उन लोगों को बढ़ावा मिले। हमें काम करने का मौका और भी मिल सकता है। मेरे बंधुओ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि धारा-370 समाप्त होने से पहले पंचायत के चुनाव पिछले 70 वर्षों में जम्मू-कश्मीर में कितनी बार हुए? हर प्रदेश में पांच साल के बाद पंचायत के चुनाव होते होंगे। जम्मू-कश्मीर में केवल चार बार चुनाव हुए हैं। बीच में उसका कार्यकाल होता ही नहीं था और पंचायती राज सिस्टम था ही नहीं। वहां पर बीडीसी कोई बनता ही नहीं था, यानी उसका प्रावधान ही नहीं था। हम कई बार कहते थे कि 73rd और 74th Amendment को लाया जाए। इसको लाने के बाद हमारा काम तेज़ गति से बढ़ सकता है। जैसे हमारे गौतम जी बोल रहे थे कि ये डीडीसी के चुनाव में गए हुए थे। वहां पर पहली बार, यानी आज डीडीसी का चुनाव हुआ है।

[उपसभाध्यक्ष, (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) *पीठासीन हुए*]

सारा काम अपने लोगों द्वारा हो, जो वे स्वयं कर सकें। अगर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड बनता है, वह अपनी तैयारी करे, अपने जिले का निर्माण करने के लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए कौन-कौन सी चीज़ें चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जैसे कौन-सी सड़क बननी चाहिए, कहां पर पानी का कुआं चाहिए, कहां पर हैंड पम्प चाहिए। आप छोटा डेवलपमेंट बोर्ड बनाने का प्रयास करें और हमारे जो डीडीसी के मेम्बर्स होते हैं, वे इसके बारे में बताएंगे। पहले क्या होता था, वहां का जो मंत्री होता था, वह डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन हुआ करता था। उसको क्या पता, वह कहां से आया हुआ है। वह मंत्री जो एक कोने से आया है, उसे दूसरे कोने के बारे में नॉलेज नहीं है। वहां पर क्या जरूरत है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड में क्या-क्या चीज़ें आनी चाहिए, उन्होंने ऑलरेडी खाका तैयार करके रखा होता था। अगर उस खाके को पहले ही तैयार कर लिया और किसी से पूछा नहीं, तो वह डिक्टेटरशिप हो जाती थी। इसलिए उस डिक्टेटरशिप को छोड़कर, सबकी सहानुभूति लेकर, इसको आगे बढ़ाने का हम प्रयास करें। इस सिस्टम को implement किसने किया - इसको भारतीय जनता पार्टी और आज की केन्द्र सरकार द्वारा किया गया है। केन्द्र सरकार ने धारा-370 को समाप्त करने के बाद इस सिस्टम को चलाने का प्रयास किया है। हम कई बार कह चुके हैं। कई चीज़ें होती हैं, जिनके बारे में मैं अवश्य बोलना चाहूंगा। अगर कहीं पर सबसे ज्यादा निर्माण कार्य हो रहा है, तो वह लेह में हो रहा है। आप देख रहे हैं कि वहां पर कितना पैसा जा रहा है। पहले जितना पैसा जाता था - मैं एक बात यहां पर अवश्य रखना चाहूंगा और उसको मैंने पहले भी रखा है - आज तक जम्मू-कश्मीर की आय बिल्कुल नहीं थी, वे केवल केन्द्र पर आश्रित होते थे। केन्द्र हमें क्या देगा, कितना देगा, उस पर हम आश्रित रहते थे। जो केन्द्र से धनराशि मिलती थी, उसमें से बहुत कम प्रतिशत धनराशि लद्दाख को मिलती थी , बहुत कम प्रतिशत धनराशि जम्मू को मिलती थी और सबसे ज्यादा धनराशि कश्मीर वैली को मिलती थी। उसके बावजूद भी आज जम्मू-कश्मीर में जिस प्रकार की प्रगति होनी चाहिए थी, जिस प्रकार की बात वहां पर पनपनी चाहिए थी, जिस प्रकार की इंडस्ट्री वहां पर होनी चाहिए थी, MSME सेक्टर आगे बढ़ना चाहिए था, वह क्यों नहीं आगे बढ़ पाया, क्योंकि वहां पर सर्दियों में छह महीने बर्फ पड़ती है, लोग अपने घरों में रहते हैं, लोग अपने घरों में चूल्हा जलाते हैं और चूल्हा जलाने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं होता है। वे अपने घरों में बैठकर कालीन बना सकते थे, शॉल बना सकते थे। आप जानते ही होंगे कि पश्मीने का शॉल एक लाख रुपए, दो लाख रुपए तक में बिकता है। पश्मीना के शॉल को बनाने में एक-एक साल का समय लगता है। वे इस प्रकार का निर्माण वहां पर करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने निर्माण करवाने का प्रयास नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसका कारण मैं जानना नहीं चाहता। यहां पर आज़ाद साहब, बड़ा सीना ठोककर कह रहे थे कि हमें वहां पर यह-यह करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि जितने भी ऑफिसर्स जम्मू-कश्मीर में हैं, उनका बाकी के स्टेट्स के साथ विलय किया जाए। दूसरी स्टेट्स के ऑफिसर जम्मू-कश्मीर में भेजे जाएं, जिससे कि वहां का निर्माण कार्य तेज़ गति से आगे बढ़ सके। हमें जिस गति से भी चलना पड़ेगा, हम उस गति से आगे चलकर जम्मू-कश्मीर का नया निर्माण करवा सकते हैं।

आज टूरिज्म सेक्टर आगे बढ़ रहा है। जिस प्रकार से लोग जम्मू-कश्मीर को देखने के लिए जा रहे हैं, उससे यह सेक्टर आगे बढ़ रहा है। लोग शांतिपूर्वक ढंग से कश्मीर में जा रहे हैं। उनको किसी प्रकार की बाधा नहीं है, किसी प्रकार का हर्डल नहीं है। आज से तीन साल पहले क्या लोग वहां जा सकते थे? हम वहां जाने से डरते थे। हम सोचते थे कि वहां जाएंगे, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हो सकता है कि कोई गोली हमारे सीने में लग जाए। इस प्रकार का भी डर लोगों के मन में बैठा हुआ

था। इस बार गुलमर्ग, पहलगाम, श्रीनगर में लाखों की संख्या में पर्यटक गए होंगे। अगर पूरे-पूरे होटल्स देखे जाएं, तो सारे के सारे होटल्स पैक हो रखे थे, वहां पर रहने के लिए व्यवस्था नहीं हो पाई थी, क्योंकि वहां पर इतने ज्यादा लोग गए हुए थे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आज वहां पर शांति बन रही है।

सीमा क्षेत्र में हमने बॉर्डर पर रोड्स का निर्माण किया है जिसके कारण आर्मी आराम से बॉर्डर तक जा सकती है, उनके लिए ammunition पहुंच सकता है। वहां पर पाकिस्तान तो दिन-प्रतिदिन षड्यंत्र करता ही रहता है, लेकिन उसको रोकने के लिए जरूरी है कि वहां की रोड्स अच्छे हों, जिन पर गाड़ियां सरपट दौड़ सकें, तुरंत वहां पर पहुंच सकें और लोगों का इलाज हो सके। हम लोगों को हैलिकॉप्टर के द्वारा इलाज करवाने के लिए लाते हैं। वहां पर पहाड़ी क्षेत्र है और इसमें एक अलग प्रकार से निर्माण हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार आईएएस ऑफिसर्स, आईएफएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स को मैक्सिमम संख्या में जम्मू-कश्मीर भेजने का प्रयास करे। अगर ये ऑफिसर्स वहां पर आ गए तो हमारे यहां की गति तेज़ हो सकती है और हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर प्रधान मंत्री जी द्वारा...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर): शमशेर सिंह जी, अब आप समाप्त करिए। आपके बोलने का समय समाप्त हो गया है।

श्री शमशेर सिंह मन्हास : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं। प्रधान मंत्री जी द्वारा जिस प्रकार से जम्मू-कश्मीर का काम अपने हाथ में लिया है, हमारे लिए केन्द्र सरकार का खजाना खोला हुआ है और वे इस खजाने से हमारे जम्मू-कश्मीर का नया निर्माण करना चाहते हैं, जम्मू-कश्मीर के लोगों को बढ़ावा देना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : मीर मोहम्मद फ़ैयाज, आप नहीं थे, लेकिन आप जम्मू-कश्मीर से हैं, इसलिए आपको दो मिनट का समय दे सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : सर, जम्मू एंड कश्मीर।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : जम्मू-कश्मीर..(**व्यवधान**)..जम्मू एंड कश्मीर।

मीर मोहम्मद फ़ैयाज (जम्मू-कश्मीर) : धन्यवाद उपसभाध्यक्ष जी, 5 अगस्त, 2019 को जब इसी हाउस में धारा-370 हटाई गई थी, तब उस वक्त और भी कुछ चीज़ें हुई थीं। इसमें हमारे स्टेट को दो हिस्सों में बांटकर दो Union Territories बनाई गई थीं। उस वक्त इसके साथ-साथ हमें यह भी कहा गया था कि जैसे ही वहाँ पर हालात सामान्य होंगे, हम इसे स्टेट का दर्जा वापस करेंगे। कुछ ही दिनों पहले 5 अगस्त को, हमारे स्टेट का जो 4G बंद किया गया था, वह छोड़ दिया गया। वहाँ पर हमारे स्टेट के लोगों को यही उम्मीद थी कि शायद इस सेशन में हमें स्टेट का दर्जा भी वापस दिया जाएगा, लेकिन आज यह बिल देखकर ऐसा नहीं लग रहा है। यहाँ पर अभी हमारे शमशेर सिंह मन्हास साहब

ने कहा, हमारे प्रधान मंत्री जी ने भी कहा है कि जम्मू-कश्मीर में पंचायत के इलेक्शन हुए, DDC के इलेक्शन हुए, BDC के इलेक्शन हुए। वहाँ पर हालात बिलकुल ठीक हैं, ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ है। अगर हालात ठीक हैं, सब कुछ सामान्य है, तो मुझे लगता है कि आज इस बिल की बजाय काश ऐसा होता कि एक तो हमारे स्टेट का दर्जा वापस दिया जाता, दूसरा, जैसा कि हमारे आज़ाद साहब ने कहा है कि 70 सालों के बाद भी वहाँ पर, हमारे कश्मीर में ट्रेन नहीं पहुंची है, इसके साथ-साथ उसके बारे में भी कुछ होता। आज भी जब हमारा सामान यहाँ से जाता है, चाहे वह फ्रेश फ्रूट हो या बाकी चीज़ें हों, वे दस-दस दिन तक जम्मू-श्रीनगर रोड बंद होने की वजह से खराब हो जाती हैं और फिर वह सड़ा हुआ माल वहाँ कश्मीर में पहुंच जाता है।
आज भी बिजली तीन या चार घंटे मिलती है। काश ऐसा होता कि जो हमें 5 अगस्त को कहा गया था कि हम नया जम्मू-कश्मीर बनाएंगे, वैसा होता, लेकिन आज वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पर employment नहीं है। बजाय इसके आप यह कहते कि हम वहाँ पर 2022 तक ट्रेन पहुंचाएंगे, 2022 तक वहाँ का फोर-लेन बनाएंगे, वहाँ पर जो बेरोज़गारी है, उसको खत्म करेंगे, तब हम समझते कि नया कश्मीर.. (**व्यवधान**)..

†**جناب میر محمد فیاض (جموں وکشمیر)**: دھنیواد اُپ سبھا ادھیکش جی، 5 اگست 2019، کو جب اسی ہاؤس میں دھارا 370 ہٹائی گئی تھی، تب اس وقت اور بھی کچھ چیزیں ہوئی تھیں۔ اس میں ہماری اسٹیٹ کو دو حصوں میں بانٹ کر دو Union Territories بنائی گئی تھیں۔ اس وقت اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جیسے ہی وہاں پر حالات نورمل ہونگے، ہم اسے اسٹیٹ کا درجہ واپس کریں گے۔ کچھ ہی دنوں پہلے پانچ اگست کو، ہمارے اسٹیٹ کا جو4G بند کیا گیا تھا، وہ چھوڑ دیا گیا۔ وہاں پرہمارے اسٹیٹ کے لوگوں کو یہی امید تھی کہ شاید اس سیشن میں ہمیں اسٹیٹ کا درجہ بھی واپس دیا جائے گا، لیکن آج یہ بل دیکھ کر ایسا نہیں لگ رہا ہے۔ یہاں پر ابھی ہمارے شمشیر سنگھ منہاس صاحب نے کہا، ہمارے پردھان منتری جی نے بھی کہا ہے کہ جموں وکشمیر میں پنچایت کے الیکشن ہوئے، DDC کے الیکشن ہوئے، BDC کے الیکشن ہوئے۔ وہاں پر حالات بلکل ٹھیک ہیں، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے۔ اگر حالات ٹھیک ہیں، سب کچھ نارمل ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ آج اس بل کی بجائے کاش ایسا ہوتا کہ ایک تو ہمارے اسٹیٹ کادرجہ واپس دیا جاتا، دوسرا، جیسا کہ ہمارے آزاد صاحب نے کہاں ہے ک ستر سالوں کے بعد بھی وہاں پر، ہمارے کشمیر میں ٹرین نہیں پہنچی ہے، اس کے بارے میں کچھ ہوتا۔ آج بھی جب ہمارا سامان یہاں سے جاتا ہے، چاہے وہ فریش فروٹ ہو یا باقی چیزیں ہوں، وہ دس دس دن تک جموں۔ سری نگر روڈ بند ہونے کی وجہ سے خراب ہوجاتا ہے او رپھر وہ سڑا ہوا مال وہاں کشمیر میں پہنچ جاتا ہے۔ آج بھی بجلی تین یا چار گھنٹے ملتی ہے۔ کاش ایسا ہوتا کہ جو ہمیں پانچ اگست کو کہا گیا تھا کہ ہم نیا جموں وکشمیر بنائیں گے، ویسا ہوتا، لیکن آج وہاں پر ڈیولمپمنٹ نہیں ہے، وہاں پر ایمپلائمنٹ نہیں ہے۔ بجائے اس کے آپ یہ کہتے کہ ہم وہاں پر 2022 تک ٹرین پہنچائیں گے، 2022 تک وہاں کا فور لین بنائیں گے، وہاں پر جو بے روزگاری ہے، اس کو ختم کریں گے، تب ہم سمجھتے کہ نیا کشمیر ---(مداخلت)---

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें। आपका समय खत्म हो गया है।

मीर मोहम्मद फ़ैयाज: एक-दो मिनट दे दीजिए। हमारे जम्मू-कश्मीर का कभी-कभी आता है। आज हमारा लास्ट ही है, एक दिन रह गया है।

†**جناب میرمحمد فیّاض** : ایک دو منٹ دے دیجئے۔ ہمارے جموں-کشمیر کا کبھی کبھی آتا ہے۔ آج ہمارا لاسٹ ہی ہے، ایک دن رہ گیا ہے۔

---

† Transliteration in Urdu script.

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : ठीक है, एक मिनट में समाप्त कीजिए।

मीर मोहम्मद फ़ैयाज: मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसे आज़ाद साहब ने यहाँ पर कहा, चाहे वह रहबरी खेल है, चाहे रहबरी टीचर है, उन्हें NIS training करने के लिए पटियाला भेजा था। उनको लगाया भी गया था, लेकिन फिर उन्हें निकाला गया। इसी तरह हमारे होम गार्ड वाले पिछले दस दिन से जम्मू में एहतजाज कर रहे हैं। इसी तरह हमारे SPOs हैं, हमारे 61,000 daily wagers हैं। जब यहाँ धारा-370 को हटाया गया था, तब उनको शायद यह उम्मीद थी कि नये कश्मीर में हमारा मसला भी हल हो जाएगा, लेकिन वह आज तक नहीं हो सका। बजाय इसके कि हमें कुछ नया मिलता..(**व्यवधान**)..

†**جناب میرمحمد فیّاض** : میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے آزاد صاحب نے یہاں پر کہا، چاہے وہ رہبر کھیل ہے، چاہے رہبر ٹیچر ہے، انہیں این-آئی-ایس- ٹریننگ کرنے کے لئے پٹیالہ بھیجا تھا- ان کو لگایا بھی گیا تھا، لیکن پھر انہیں نکالا گیا- اسی طرح ہمارے ہوم گارڈ والے پچھلے دس دن سے جموں میں احتجاج کر رہے ہیں- اسی طرح سے ہمارے ایس-پی-اوز- ہیں، ہمارے اکسٹھہ ہزار ڈیلی ویجرس ہیں- جب یہاں دھارا 370 کو ہٹایا گیا تھا، تب ان کو شاید یہ امید تھی کہ نئے کشمیر میں ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، لیکن وہ آج تک نہیں سکا- بجائے اس کے کہ ہمیں کچھہ نیا ملتا ---(مداخلت)---

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : माननीय सदस्य, कृपया आप अब समाप्त करें।

मीर मोहम्मद फ़ैयाज: एक मिनट दे दीजिए। ...(**व्यवधान**)..

†**جناب میرمحمد فیّاض** : ایک منٹ دے دیجئے ---(مداخلت)---

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : नहीं, अब आप समाप्त करें।..(**व्यवधान**)..

मीर मोहम्मद फ़ैयाज : अभी डीडीसी के चुनाव हुए हैं। उसकी दो सीटों पर काउंटिंग रोकी हुई है। हम यहां कहते हैं कि PoK is part of India. वहाँ की दो ladies आई थीं, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था।..(**व्यवधान**)..

†**جناب میرمحمد فیّاض** : ابھی ڈی-ڈی-سی- کے چناؤ ہوئے ہیں- اس کی دو سیٹوں پر کائنٹنگ روکی ہوئی ہے- ہم یہاں کہتے ہیں کہ PoK is part of India. وہاں کی دو لیڈیز آئی تھیں، انہوں نے الیکشن لڑا تھا ---(مداخلت)---

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : अब आप समाप्त करें।..(**व्यवधान**)..

मीर मोहम्मद फ़ैयाज: मैं बस एक मिनट लूंगा।..(**व्यवधान**)..हमारा यहाँ पर एक दिन है।

†**جناب میرمحمد فیّاض** : میں بس ایک منٹ لوں گا ---(مداخلت)--- ہمارا یہاں پر ایک دن ہے-

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : आप already दो मिनट बोल चुके हैं।

† Transliteration in Urdu script.

मीर मोहम्मद फ़ैयाज: उसकी काउंटिंग रुकी हुई है। इसी तरह आज कश्मीर में जो हालात बने हुए हैं, वे ठीक नही हैं। हमें यह लग रहा था कि शायद इस सेशन में जो हमसे छीना गया..(**व्यवधान**)..

†**جناب میرمحمد فیّاض** : اس کی کائنٹنگ رکی ہوئی ہے۔ اسی طرح آج کشمیر میں جو حالات بنے ہوئے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہیں، ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ شاید یہ سیشن میں جو ہم سے چھینا گیا ----(مداخلت)----

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : मोहम्मद मीर फ़ैयाज, प्लीज़ अब आप समाप्त करें।..(**व्यवधान**)..मैं नेक्स्ट स्पीकर को बुलाऊंगा।

मीर मोहम्मद फ़ैयाज: वह हमें वापस मिलता, बजाय इसके, हमारा जो था, वह ही छीना जा रहा है।

†**جناب میرمحمد فیّاض** : وہ ہمیں واپس ملتا، بجائے اس کے، ہمارا جو تھا، وہ ہی چھینا جا رہا ہے۔

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : समाप्त कीजिए।

मीर मोहम्मद फ़ैयाज : ठीक है सर, मैं समाप्त करता हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

†**جناب میرمحمد فیّاض** : ٹھیک ہے سر، میں ختم کرتا ہوں۔ آپ کا بہت بہت دھنیواد۔

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Next speaker is Dr. Amar Patnaik. You have three minutes. ...*(Interruptions)*...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: His term is ending. He was the only person to speak......*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : उनका समय पूरा हो गया, उनको टाइम ही इतना दिया गया था। उनको 3 मिनट दिए गए थे, वे 5 मिनट बोले हैं। उनको जितना समय दिया गया था, मैंने उनको उससे अधिक समय दिया है। अमर जी, बोलिए।

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, this Bill, which seeks to replace the Ordinance as we know, basically, tries to solve the issue of All India Service officers in the two Union Territories created. This is not the first time that such a bifurcation has taken place. We have seen this earlier when States have been divided into smaller States. The AGMUT cadre, which is a combined cadre, basically, looks after the Union Territories of Delhi, Arunachal Pradesh, Mizoram and Goa. The arrangement, which has been made for this cadre, is necessary in order to meet the temporary shortages of these officers at different places and in which case, the whole pool of people who would be available, can

† Transliteration in Urdu Script.

actually meet the contingencies arising in a different place from time to time. The move by this Bill to include the two Union Territories, newly created Union Territories, by virtue of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019, seeks to establish this particular cadre in these two Union Territories and merge them into the AGMUT cadre so that the management of personnel to meet the exigencies arising from time to time in these territories can be met much quickly and in a better manner. The pool of people, who would be available to man positions in these two areas in an objective manner, would also increase because of these Amendments.

The Section 88, of the principal Act, which has been amended, says that the members of the Indian Administrative Service, Indian Police Service and the Forest Service for the existing cadre of Jammu and Kashmir shall be borne and become part of Arunachal Pradesh, Goa, Mizoram and Union Territories Cadre and all future allocations to these cadres shall also take place similarly. The objectivity that comes into this arrangement because of the reorganisation is immense in the sense that people who are now going to opt for these two Union Territories would also be from a larger pool of people who would be selected in the Civil Services examination.

Lastly, Sir, the objective that has been set out in the Statement says that for the purpose of bringing clarity to Section 13, it is proposed to amend the said Section so as to include therein any other Article containing reference to elected members of the Legislative Assembly of the Union Territories of Jammu and Kashmir. So, here, the reference was to Puducherry and, I think, this is just an amendment which is necessary for bringing completeness to the Act. Therefore, I support this particular Bill. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Now, the mover of the Resolution, Shri Elamaram Kareem. He is not present. Now, Mantri*ji*.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी संसद सदस्यों, आदरणीय Leader of Opposition, माननीय गुलाम नबी आज़ाद साहब, दुष्यंत गौतम जी, ए. नवनीतकृष्णन जी, प्रो. मनोज कुमार झा जी, अशोक सिद्धार्थ जी, सुशील कुमार गुप्ता जी, शमशेर सिंह मन्हास जी, मीर मोहम्मद फ़ैयाज जी, डा. अमर पटनायक जी को धन्यवाद देता हूँ। माननीय सदस्यों ने अपने वक्तव्य में जो भी कहा, उसमें उनके मन में सबसे ज्यादा विकास की बात थी कि दो Union Territories बनने के बाद जम्मू-कश्मीर में जो विकास होना था, वह नहीं हुआ। ऐसा कुछ लोगों ने बताया था। आदरणीय गुलाम नबी आज़ाद साहब ने भी वहां की roads के बारे में, water supply के बारे में, power के बारे में, employment के बारे में, health के बारे में ध्यान दिलाया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 70 साल में जम्मू-कश्मीर में जितना विकास हुआ है, Union Territory बनने के बाद के टाइम से, अगर उसको कम्पेयर किया जाए, तो जम्मू-कश्मीर में आज

बहुत ज्यादा speedy development हो रहा है। Central Government और जम्मू-कश्मीर Union Territory की सरकार, दोनों मिल-जुल कर जम्मू-कश्मीर को विकास के रास्ते पर ले जाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में वहां और भी बहुत सारे काम होने वाले हैं।

कोरोना के कारण वहां के लिए अभी तक का जो टारगेट हमने बनाया था, वह हासिल नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी जम्मू-कश्मीर में हुए विकास के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। भारत सरकार ने वहां जो-जो कदम उठाए, उनकी तरफ मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जम्मू-कश्मीर की जनता का ध्यान भी इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने UT बनने के बाद वहां क्या-क्या डेवलपमेंट किया है। आदरणीय गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कल माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलते हुए, वहां के local body elections और पंचायती राज चुनावों का सम्मान किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर के विकास के विषय पर भारत सरकार और जम्मू-कश्मीर Union Territory की सरकार ने revolutionary and historical decisions लिए हैं। सबसे पहले, जैसा आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने अभी-अभी बताया, वहां District Development Council का चुनाव successfully complete हुआ है। उससे पहले, नवम्बर-दिसम्बर, 2018 में वहां पंचायती राज के चुनाव हुए थे, जिनमें लगभग 74% वोटर्स की भागीदारी रही। आज़ादी के बाद पहली बार जम्मू-कश्मीर में, UT बनने के बाद Block Development Council के चुनाव करवाए गए, जिनमें 98% वोटर्स की भागीदारी रही।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जम्मू-कश्मीर में केवल इलेक्शंस ही नहीं करवाए गए, पहली बार वहां local bodies को, Panchayati Raj system को strengthen करने के लिए नरेन्द्र मोदी सरकार, वहां की स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रही है। Nearly 1,500 crores of rupees have been devolved to the Panchayats. ऐसा पहली बार हुआ है। Mid-Day Meal Scheme की जिम्मेदारी अब पंचायतों को दी गई है। गांव के जिन स्कूलों में Mid-Day Meal Scheme है, वहां ग्राम पंचायतों के सरपंच ही उसकी जिम्मेदारी निभाते हैं। इसके साथ-साथ आंगनवाड़ी और ICDS Development Programmes की जिम्मेदारी भी उनको ही दी गई है। 'मनरेगा' के काम की जिम्मेदारी भी ग्राम पंचायतों को दी गई है। पिछले एक साल में भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर में ग्राम पंचायतों के द्वारा, 'मनरेगा' के माध्यम से वहां के गांवों के विकास के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपया दिया है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि वहां की हर पंचायत में grievance box स्थापित किए गए हैं। देश में कहीं भी ऐसे grievance box नहीं हैं, लेकिन पहली बार जम्मू-कश्मीर में ही grievance box लगाए गए हैं। उसके साथ-साथ अधिकारियों को भी जिम्मेदारी दी है कि हर गज़ेटेड ऑफिसर को 'बैक टू विलेजेज़' के नाम पर दो दिन टूर पर जाना चाहिए, एक दिन नाइट हाल्ट करना चाहिए। यह कार्यक्रम जम्मू-कश्मीर में लगातार चल रहा है, हर गज़ेटेड ऑफिसर ने 'बैक टू विलेजेज़' के नाम पर गांव-गांव जाने के लिए काम किया है, उन्हें हर गांव में जाना चाहिए। 'जन अभियान कार्यक्रम' में भागीदारी होनी चाहिए, जनता से मिलना चाहिए। हर गांव में गज़ेटेड ऑफिसर को जाकर उनके ग्रीवांसेज जानने चाहिए,

डेवलपमेन्टल एक्टिविटी रिव्यू करनी चाहिए। भारत सरकार के द्वारा यह जिम्मेदारी जम्मू-कश्मीर यू.टी. में आज इम्प्लिमेन्ट हो रही है।

इसके साथ-साथ अर्बन एरियाज़ में भी 'माई टाउन, माई प्राइड' के नाम पर म्यूनिसिपैलिटीज़ में अधिकारियों को बस्तियों में जाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ-साथ जो प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेन्ट पैकेज की आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की है, उस कार्यक्रम के तहत तेजी से काम चल रहा है और 54 परसेन्ट काम पूरा हो गया है। Twenty projects, including seven Central Government and 13 UT प्रोजेक्ट्स को एक्ज़ीक्यूट किया गया है और ये कम्प्लीट होने के लिए तैयार हैं। Eight more projects are likely to be completed by the end of the financial year. All major projects are on track and the bottlenecks have been removed. Kashmir is to be connected with train by December, 2022. आज़ादी के बाद कश्मीर में ट्रेन नहीं गई। अभी 2022 में ट्रेन आएगी, चिनाब ब्रिज with a height of 359 metres will be the highest railway bridge in the entire world. वह जम्मू-कश्मीर में बिगेस्ट रेलवे ब्रिज 359 मीटर्स की हाइट का बन रहा है, वह अगले साल पूरा होगा।

उसके साथ-साथ elevated light rail system is being planned in Srinagar and Jammu cities to provide world class public transport system to be completed in four years. यह केन्द्र सरकार की रेलवे मिनिस्ट्री का प्लान है। इसके अलावा पावर के बारे में भी बात कही गई। पावर सैक्टर में भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर में बहुत कुछ काम शुरू किये हैं। जम्मू-कश्मीर में additional capacity of nearly 3,498 megawatts by 2025 तक प्रोडक्शन करने के लिए एक्शन प्लान भी बना चुके हैं। In the last two years alone, projects worth above 300 megawatt capacity were revived and put on track. Along with that, 333 megawatt capacity new project is to be kick-started. Historic MoU has been signed by NHPC on 3rd January, 2021 for four projects in Kirthai, Sawalkot, etc., and Rs.34,882 crores का 3 हज़ार मेगावॉट प्रोजेक्ट भी प्रारम्भ करने वाले हैं। इसके साथ-साथ under 'Power for All', Jammu and Kashmir achieved hundred per cent household electrification. यह हिली एरियाज़ में रिकॉर्ड है। श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने जो भी कमी थी, हर घर को पावर कनेक्शन देने का काम शुरू किया है। 100 प्रतिशत अचीवमेन्ट हो गया है और उसके बाद 'सौभाग्य योजना' के द्वारा 3,57,405 बेनिफिशियरीज़ को कवर किया है और जो बॉर्डर एरियाज़ में विलेजेज़ हैं, उन एरियाज़ में भी गांवों को इलेक्ट्रिसिटी दी है।

वॉटर अवेलेबिलिटी, 'वॉटर फॉर ऑल', 'जलशक्ति' के द्वारा 100 per cent coverage, piped water supply to all 18.16 lakh rural households in September, 2022 को करने वाले हैं। हमने टारगेट बनाया है कि आने वाले साल में अक्टूबर, 2022 तक 18 लाख घरों में पानी के कनेक्शंस देने का लक्ष्य रखा है। विलेज रोड कनेक्टिविटी, 'प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना' के द्वारा Jammu and Kashmir will build 5,300 kilometres of road in 2021; 4,600 kilometres in Jammu region and 700 kilometres in Kashmir valley. उपसभाध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री डेवलपमेंट पैकेज के द्वारा Jammu & Kashmir is leading at national level in terms of the road length achieved, over 3,500 kilometers length covered under the black- topping so far, Rs.1400 crores has been spent so far for the black topping. सर, जितनी भी रोड्स थीं, वे different reasons

की वजह से खराब हो गई थीं। जम्मू-कश्मीर में UT बनने के बाद उनमें 1,400 करोड़ रुपये खर्च करके emergency level पर black-topping की गयी है।

(**उपसभापति महोदय** *पीठासीन हुए*)

उसके साथ-साथ health sector में भी काम हुए हैं। माननीय गुलाम नबी आज़ाद साहब हेल्थ के बारे में बोल रहे थे। Jammu & Kashmir has received the entire amount of Rs.881 crores of allocation under Pradhan Mantri's Development Programme against which Rs.754 crores have been spent so far. 140 ongoing new health projects have been undertaken under the Pradhan Mantri's Development Programme. Establishment of 2 AIIMS, Super speciality Hospitals and Medical College प्रारम्भ किया गया है।

(**सभापति महोदय** *पीठासीन हुए*)

One each is in Vijaypur, Samba district और साथ-साथ अवन्तिपोरा, पुलवामा में AIIMS colleges को प्रारम्भ किया गया है, and other medical institutions को प्रारम्भ किया गया है। उसमें हम एक-एक एम्स पर 2,000 करोड़ खर्च करने वाले हैं। यह एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। UT बनने के बाद भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर में 7 Medical Colleges को sanction किया है। उसी तरह Nursing Colleges की बात है। 15 B.Sc (Nursing) Colleges को मंजूरी दी गयी है, वे भी प्रारम्भ होने वाले हैं। उसके साथ-साथ UT के द्वारा, 2 cancer institutes प्रारम्भ की गई हैं। एक श्रीनगर में और एक जम्मू में प्रारम्भ होने वाला है। 2 cancer institutions को भी मंजूरी दी गयी है। यह भी एक बहुत बड़ा लाभ होगा, जो जम्मू-कश्मीर की जनता के लिए उपयोगी होगा।

'आयुष्मान भारत' के द्वारा केन्द्र सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। जम्मू-कश्मीर में जो 1,089 wellness centres प्रारम्भ करने का target रखा गया था, उनमें से लगभग 900 wellness centres प्रारम्भ हुए हैं। उसके साथ-साथ 5.97 lakh families are entitled to receive insurance. 'आयुष्मान भारत' के इंश्योरेंस का काम आज तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी तक 65 per cent gold cards distribute किये गये हैं। इसके साथ-साथ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी health insurance का काम हर citizen के लिए हो रहा है। चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो या employee हो, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अलग से टारगेट करके, हर साल 5 lakh per family के insurance की scheme Jammu-Kashmir UT में implement होने वाली है। वैसे ही अलग-अलग जगहों पर केन्द्र सरकार के द्वारा outreach programme चलाया गया है। Central Ministers, Union Ministers, लगभग 30 लोगों ने night halt करते हुए, पहली बार at a time जम्मू-कश्मीर में अलग-अलग जाने के लिए प्रोग्राम बनाया है। मगर कोरोना के कारण अभी 1st phase ही हुआ है, दूसरा फेज़ अभी तक नहीं हुआ है। कोरोना के कारण वह रुक गया था। All Ministers, including Cabinet Ministers, Ministers of State, जम्मू-कश्मीर में अलग-अलग जगहों पर night halt करते हुए, लोगों से मिलते हुए, developmental activities का inauguration करते हुए, लोगों की petitions लेते हुए, नरेन्द्र मोदी जी का संदेश, केन्द्र सरकार का development संदेश लेते हुए अलग-अलग जगहों पर गये हैं।

इसी प्रकार 'सौभाग्य' के नाम पर 'प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना', 'उजाला योजना', 'स्वच्छ भारत' योजना है। Jammu & Kashmir has now become 100 per cent ODF. इसे नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने जम्मू-कश्मीर में 100 per cent implement किया है। उसी तरह हेल्थ के बारे में अलग-अलग कार्यक्रम हैं। Nearly 8 lakh students have been awarded pre and post-matric scholarship. 250 per cent, ये scholarships 8 लाख स्टूडेंट्स को दी गई हैं। जम्मू-कश्मीर में भारत सरकार के द्वारा यह भी एक बड़ी achievement हुई है। इसके साथ-साथ मैं यह बताना चाहता हूँ कि approximately 7.7 lakh children within the age group of 0-6 years, वैसे ही pregnant women and adolescent girls are being provided supplementary nutrition on monthly basis. जम्मू-कश्मीर में सभी जगह, specially border villages में इसे implement करने के लिए आदरणीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी के आदेश पर यह काम शुरू हो गया है। Sir, regarding the New Industrial Development Scheme, the Government has approved a new Central Sector Scheme for industrial development of Jammu and Kashmir. For the first time, an industrial incentive scheme is taking industrial development to the block level and it will promote far-flung areas of Jammu and Kashmir. Sir, the scheme is approved with a total outlay of Rs. 28,400 crores. केन्द्र सरकार के द्वारा, जम्मू-कश्मीर यूटी के द्वारा इतने रुपए का industrial development package बनाया जाना है। इसके साथ ही it aims to provide employment to over 4 to 5 lakh people. The Government has created a new land bank of approximately 25000 kanals during the year 2021 for setting up the new industrial estate in Jammu and Kashmir. धारा-370 हटने के बाद, 2020 में कोरोना की स्थिति को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा नया business revival package दिया गया है। उसमें mega economic stimulus of Rs. 1,350 crores का है, जिसके तहत 5 per cent interest rate पर यह काम शुरू होने वाला है।

सभापति महोदय, Mission Youth - first of its kind, a multi-pronged strategy of the Government of Jammu and Kashmir to provide the youth with job opportunities to realize their potential ... *(Interruptions)*... जॉब्स के बारे में भी आदरणीय गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बताया। मैं आपके माध्यम से आदरणीय सांसद महोदय को बताना चाहता हूँ कि over 10,000 vacancies are identified in Jammu and Kashmir, Services Selection Board has published the recruitment notification for 8,575 posts for class IV vacancies. Another 12,379 posts are identified under recruitment drive; उनमें से 533 gazetted posts and 11,846 non-gazetted posts के रूप में identify की गई हैं और इनके लिए written test भी conduct हुआ है। इस तरह से आने वाले दिनों में इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 'Back to Village' के नाम पर जो programme है, उसके तहत 19,000 नौजवानों को लोन देने के लिए banks को आदेश दिया गया है। उनमें से अभी तक 15,200 नौजवानों को लोन दिया गया है। सिर्फ जम्मू-कश्मीर के नौजवानों को recruit करते हुए 5 IR battalions की recruitment का प्रोसेस पूरा हो गया है। इसके साथ-साथ, पुलिस के 2 border battalions और 2 women battalions जम्मू-कश्मीर के लड़कों और लड़कियों को देने का निर्णय किया गया है। इसके लिए भी प्रोसेस चल रहा है। इसके लिए board भी constitute किया गया है। Para-military forces में जम्मू-कश्मीर के नौजवानों को मौका देते हुए recruitment करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही developmental activity में Lakhanpur toll abolish

किया गया है। इससे बहुत लोगों को फायदा पहुँचा है। जम्मू-कश्मीर में structural reforms in Engineering Department and Departments of Industry, Tourism, Finance and Technical Education का काम भी ज़ोर-शोर से हो रहा है। हम इसको implement कर रहे हैं। The Constitution of India is now fully applicable to Jammu and Kashmir and all Central laws are now applicable there. सर, आर्टिकल 370 हटने की वजह से आज़ादी के बाद यह पहली बार है कि all Central laws, जिन्हें हम इस संसद में पास करते हैं, वे सभी लॉज़ जम्मू-कश्मीर में भी लागू होते हैं। आज discriminated categories, like West Pakistan refugees, Safai Karamcharis, women married outside are given jobs and voting rights. यह पहले नहीं होता था। यह सब आज जम्मू-कश्मीर में successfully implement हो रहा है। इसके साथ-साथ, Reservation Act Rules amended to include left-out but deserving categories such as Paharis, IB Residents and Economically Weaker Sections. Income ceiling for Backward Classes has been increased from Rs.4.5 lakh to Rs.8 lakh. The percentage for Other Backward Classes increase हुआ है। भारत सरकार द्वारा developmental activities के संबंध में भी ऐसा ही किया गया है। मैं आपको law and order के बारे में भी कुछ बताना चाहता हूँ। अभी law and order का इश्यू चल रहा था। इसमें ceasefire violations ज्यादा हुए हैं, क्योंकि जम्मू-कश्मीर विकास के रास्ते पर चल रहा है, जम्मू-कश्मीर की जनता अब 370 नहीं माँग रही है। आज जम्मू-कश्मीर की जनता यही चाहती है कि जम्मू-कश्मीर की जनता का विकास होना चाहिए, नौजवान के पास रोजगार होना चाहिए। पाकिस्तान चाहता है कि यह विकास नहीं होना चाहिए, जम्मू-कश्मीर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इसके लिए वे समय-समय पर घुसपैठ का प्रयास करते हैं और ceasefire violations करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि last year ceasefire violations के कारण 127 लोग injured हुए थे और 2020 में only 71 लोग injured हुए हैं। मैं infiltration के संबंध में बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2019 में 216 बार infiltration attempt किए गए, मगर अभी 2020 में यह संख्या 99 तक कम हुई है। इसके साथ ही, terrorists का neutralization भी किया गया है। वर्ष 2019 में 157 terrorists को neutralize किया गया था और अभी 2020 में 221 terrorists को neutralize किया गया है। मैं आपको incidents of terrorists violence के संबंध में बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2019 में 594 terrorists violence हुए और अभी 2020 में यह संख्या 244 तक घट गई। Stone-pelting के विषय में भी ऐसा ही है। पहले stone-pelting बहुत ज्यादा होती थी। मैं बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2019 में stone-pelting के 2,009 incidents हुए और साल 2020 में only 327 stone-pelting incidents हुए। इसी तरह, चाहे अलग-अलग developmental activities हों या law and order हो, जम्मू-कश्मीर सही रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अभी यह एक छोटा बिल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि Jammu & Kashmir Reorganisation Act, 2019 के द्वारा 31 अक्टूबर, 2019 से जम्मू-कश्मीर को UT with legislature और लेह-कारगिल के जिलों को मिलाकर लद्दाख को UT without legislature बनाया गया है। इन दोनों यूटीज़ का देश के साथ complete integration हो गया है। यहाँ पर one constitution, one nation के साथ holistic development और public welfare को हर लेवल पर insure किया जा रहा है। आज इस बिल में अमेंडमेंट के द्वारा जम्मू-कश्मीर कैडर और AGMUT कैडर का मर्जर भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आर्टिकल 370 के abrogation की वजह से सभी constitutional ambiguities हट गई हैं। आज जम्मू-कश्मीर में

लगभग 170 सेंट्रल लॉज़ का implementation हो रहा है, जो पहले धारा-370 के कारण नहीं होता था। आज जम्मू-कश्मीर में पार्लियामेंट के सभी निर्णय और Centrally-sponsored schemes का भी implementation हो रहा है। इसके अतिरिक्त, वहाँ डेवलपमेंट और social uplift के प्रोजेक्ट्स भी execute किए जा रहे हैं।

इन laws के smooth implementation के लिए, स्कीम्स को अमल में लाने के लिए और प्रोजेक्ट्स के effective execution के लिए cadre की better strength और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस रखने वाले ऑफिसर्स बहुत जरूरी हैं। जम्मू-कश्मीर और AGMUT cadre के merger के proposal से हम जम्मू-कश्मीर यूनियन टेरिटरी में AGMUT cadre के माध्यम से All India Services के अधिकारियों की सेवा ले सकते हैं और इससे वहाँ अधिकारियों की संख्या भी बढ़ेगी। इसके साथ ही, जम्मू-कश्मीर यूनियन टेरिटरी के डेवलपमेंट के लिए ऐसे अधिकारी भी उपलब्ध होंगे, जिन्हें U.T. Administration का अनुभव हो। जम्मू-कश्मीर कैडर के अधिकारियों को ऑल इंडिया लेवल पर तथा अन्य यूनियन टेरिटरी में काम करने से better exposure और नये-नये experiences मिलेंगे।

महोदय, मैं आपके द्वारा सभी माननीय सदस्यों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग unanimously इस बिल के प्रस्ताव का समर्थन कीजिए। यह जम्मू-कश्मीर के विकास में और तेजी से आगे बढ़ने और विकास के रास्ते पर जाने में उपयोगी होगा, इसलिए मैं आप सब लोगों से इसके समर्थन के लिए अनुरोध करना चाहता हूँ।

श्री सभापति : धन्यवाद, मंत्री जी। I shall now put the Statutory Resolution moved by Shri Elamaram Kareem to vote. He is absent. However, I shall put the question to vote.

The question is:

"That this House disapproves the Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Ordinance, 2021 (No.1 of 2021) promulgated by the President of India on 7th January, 2021."

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the motion moved by the Minister, to vote.

The question is:

"That the Bill to amend the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: Now, the Minister.

SHRI G. KISHAN REDDY: Sir, I move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Before adjourning the House, I wish to say that we would be taking up tomorrow the Farewell Address of some of the hon. Members who will be completing their tenure, including the Leader of the Opposition. We will first take that up and then go to other issues listed on the Agenda.

The House stands adjourned till 9.00 a.m. on Tuesday, the 9th February, 2021.

The House then adjourned at fifty minutes past one of the clock till nine of the clock on Tuesday, the 9th February, 2021.